कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

39

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

खान मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

उनतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

उनतालीसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

खान मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

सीएमएंडएस सं. .....

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली – 110001 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना		(i)
प्राक्कथन.....		(ii)
	भाग –एक	
अध्याय-एक	प्रस्तावना	1
अध्याय-दो	आत्म निर्भर और सतत खनन कार्य.....	9
अध्याय-तीन	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)	16
अध्याय-चार	भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)	33
अध्याय-पांच	एसएंडटी और अन्य कार्यक्रम.....	39
अध्याय-छह	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी)	42
अध्याय-सात	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	47
अध्याय-आठ	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	55
अध्याय-नौ	खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका	64
	भाग-दो	
समिति की टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें.....		66
	अनुबंध	
एक.	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 27.02.2023 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश	89
दो.	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 15.03.2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश	92

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. श्री कुनार हेम्ब्रम
6. श्री चंद्र प्रकाश जोशी
7. श्रीमती कविता मलोथू
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्री एस.आर.पार्थिबन
12. श्रीमती रीती पाठक
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री सौमित्र खान
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. श्री पशुपति नाथ सिंह
20. डॉ. थोल तिरुमावलवन
21. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

22. श्री सुब्रत बक्शी
23. श्रीमती महुआ माजी
24. श्री रवंगवरा नारजारी
25. श्री समीर उरांव
26. सुश्री सरोज पाण्डेय
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री आदित्य प्रसाद
29. श्री धीरज प्रसाद साहू
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

सचिवालय

1. श्री जे. एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव
4. श्री ललित शर्मा - कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित यह उनतालीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. खान मंत्रालय की अनुदानों की माँगों को दिनांक 08.02.2023 को सभा पटल पर रखा गया था। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ड. के अंतर्गत, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर विचार करना और उनके संबंध में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. समिति ने दिनांक 27.02.2023 को खान मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 15.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, खान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग और समिति के समक्ष अपना सुविचारित मत और दृष्टिकोण रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात
संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय-एक

प्रस्तावना

भारत प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से उन खनिजों से सुसंपन्न है, जो तीव्र औद्योगिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। बदले में यह अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के पथ पर बढ़ने और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मदद करेगा।पिछले आठ वर्षों के दौरान, सरकार ने राष्ट्रीय नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने हेतु खनिज क्षेत्र को खोलने के लिए महत्वपूर्ण सुधार कार्य शुरु किए हैं। इन प्रमुख सुधारों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) (संशोधन) अधिनियम, 2015 को लागू करना शामिल है, जिसने राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ सार्वजनिक नीलामी शुरू करके खनिज रियायतों के आवंटन की प्रक्रिया को अपने संबंधित क्षेत्रों में खनिज संपदा के स्वामी हैं। खनिज संपदा के लाभों को प्राप्त करने के लिए, मंजूरी वाले नीलामी योग्य ब्लॉकों में उत्पादन शुरू करने में राज्यों की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। पारदर्शी एवं सतत तरीके से खनिजों को आबंटित एवं विनियमित करके तथा देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गभीरस्थ खनिजों के गवेषण और खनन को प्रोत्साहित करके तथा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में उल्लिखित अन्य नीतिगत लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करके आयात निर्भरता में पर्याप्त कमी करके अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को दोगुना करने का विजन है। जिससे देश प्रमुख खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके।

1.2 खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिज तथा कोयला के अलावा अन्य सभी खनिजों के सर्वेक्षण, गवेषण और खनन के लिए उत्तरदायी है। परमाणु खनिजों एवं कोयला के मामले में, मंत्रालय के कार्यकलाप केवल क्षेत्रीय गवेषण तक सीमित हैं। मंत्रालय

कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को छोड़कर सभी खानों तथा खनिजों के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों को भी प्रशासित करता है।

1.3 खान मंत्रालय को आबंटित विषयों की सूची निम्नवत है:-

(क) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट भारत के प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों के भीतर महासागर में अंतर्निहित खानों और खनिजों सहित भारत के क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधान बनाना।

(ख) खानों का विनियमन और भंडारण के लिए कोयला, लिग्नाइट एवं भरने के लिए रेत के अलावा अन्य खनिजों तथा विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन एवं विकास से संबंधित प्रश्न तथा उससे जुडे या प्रासंगिक मामलों सहित और कानून द्वारा यथा घोषित संघ के नियंत्रण के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजन हेतु "यथा निर्धारित पदार्थों के रूप में घोषित किसी अन्य खनिज का विकास।

(ग) अन्य सभी धातुएं और खनिज जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आबंटित नहीं की गई हैं जैसे कि एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल।

(घ) इस मंत्रालय से संबद्ध खनिज संपदा से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।

(ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रशासन एवं प्रबंधन|

(च) भारतीय खान ब्यूरो का प्रशासन एवं प्रबंधन।

(छ) धातुकर्मीय ग्रेड सिलिकॉन।

1.4 खान मंत्रालय के अधीन निम्नवत संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय है,नामत:-

(i) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, इस मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है तथा

(ii) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) जिसका मुख्यालय नागपुर में है, इस मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है।

1.5 खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं, नामत:-

(i) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको),भुवनेश्वर;

(ii) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता; और

(iii) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड(एमईसीएल), नागपुर

1.6 खान मंत्रालय के अधीन दो स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान हैं, नामत:-

(i) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर;

(ii) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम) बेंगलुरू;

1.7 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से दिनांक 28.03.2021 को संशोधित किया। गया है। इन संशोधनों में खनिज उत्पादन को तत्काल बढ़ावा देने और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में सुधार के लिए प्रावधान किए गए। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाए गए और अधिसूचित किए गए हैं:-

(एक) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2022 दिनांक 18.02.2022 को अधिसूचित किए गए। बड़े क्षेत्र के ब्लॉकों की नीलामी को सुसाध्य बनाने के लिए. 2 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को उस क्षेत्र की पहचान और सीमांकन के लिए अनुमति दी गई है जहां नीलामी के माध्यम से एक संयुक्त लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, समग्र लाइसेंस के म लिए नीलाम किए जाने वाले क्षेत्र के वन भूमि, राज्य सरकार के

स्वामित्व वाली भूमि और राज्य सरकार ह के गैर-स्वामित्व वाली भूमि के रूप में वर्गीकरण नि की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

(दो) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 को लौह अयस्क के डेटा को 45% से 51% से कम और 45% से कम (मैग्नेटाइट के लिए) की रिपोर्टिंग की अनुमति देने के लिए दिनांक 11.04.2022 को अधिसूचित किया गया था।

(तीन) गवेषण व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2022 को उन रियायत धारकों, जिनके अधिकार एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10क (2) (ख) के तहत समाप्त हो गए हैं, के गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिनांक 03.06.2022 को अधिसूचित किया गया था।

अनुदानों की मांगें (2023-24)/वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कार्यनिष्पादन

1.8 खान मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें (2023-24) को 08.02.2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। मांगों में मंत्रालय, इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजस्व और पूंजीगत मदों के तहत व्यय का प्रावधान शामिल है।

1.9 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (जीएसआई), और एलएंडटी कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए राजस्व और पूंजी के तहत बजटीय सहायता प्राप्त की जाती है। जीएसआई, जीएसआई, सचिवालय (मुख्य), स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान आदि के लिए भी राजस्व प्रावधान प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित और आवंटित ब.अ.-2023-24 का संगठन-वार ब्यौरे समिति को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	संगठन का नाम	प्रस्तावित	आवंटित
		ब.अ. 2023-24	ब.अ. 2023-24
1	सचिवालय (मुख्य)	105.03	45.00
2	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	1435.26	1308.60

3	भारतीय खान ब्यूरो	135.85	122.48
4	एमईसीएल को अनुदान	10.00	0.00
5	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को अनुदान	6.70	6.70
6	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / अन्य कार्यक्रम (6.1 to 6.6)	**23.47**	**28.82**
6.1	एनआईआरएम	4.08	6.38
6.2	एनआईएमएच	0.00	0.00
6.3	जेएनएआरडीडीसी	5.32	11.37
6.4	**अंतरराष्ट्रीय सहयोग** (आईसी)	0.37	0.37
6.5	**राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार** (एनएमए)	0.70	0.70
6.6	अन्य अनुसंधान कार्यक्रम	13.00	10.00
7	**एनएमईटी**	400.00	400.00
	कुल	**2116.31**	**1911.60**

<u>व्यय की प्रवृत्ति</u>

1.10 वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रस्तावित आवंटन, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के संबंध में ब्यौरा समिति को निम्नानुसार बताया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
प्रस्तावित	1997.86	1828.70	1742.85
ब.अ.	1701.40	1466.82	1508.00

सं.अ.	1370.68	1480.00	1689.95
वास्तविक व्यय	1345.33	1468.02	1349.16 (13.02.2023 तक)
व्यय का %	98.15	99.19	79.83

1.11 खान मंत्रालय के वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान निष्पादन के बारे में पूछे जाने पर,समिति ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

क्र.सं.	संगठन का नाम	2020-21				2021-22				2022-23			
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	सं.अ. के संबंध में व्यय %	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	सं.अ. के संबंध में व्यय %	ब.अ.	सं.अ.	दिनांक 13.02.2023 तक वास्तविक	सं.अ. के संबंध में व्यय %
1	सचिवालय (मुख्य)	42.43	41.89	37.99	90.69	41.50	43.96	54.62	124.25	43.64	43.64	29.06	66.59
2	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	1349.98	1115.01	1108.84	99.45	1181.58	1174.78	1162.68	98.97	1205.17	1251.91	1117.75	89.28
3	भारतीय खान ब्यूरो	128.31	94.00	85.67	91.14	110.00	103.14	93.18	90.34	113.00	105.25	84.29	80.09
4	एमईसीएल को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
5	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड-अनुदान	5.50	7.00	5.84	83.43	5.84	5.84	5.84	100.00	6.00	6.70	4.97	74.18
6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/अ	25.18	22.78	29.72	130.47	27.90	27.28	26.99	98.94	30.19	32.45	27.83	85.76

	न्य कार्यक्रम (*6.1* से *6.6)*												
6.1	एनआईआरएम	8.21	8.21	8.21	100.00	9.95	9.95	9.70	97.49	9.42	9.17	8.81	96.07
6.2	एनआईएमएच	1.00	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	जेएनएआरडीडीसी	9.92	9.92	9.92	100.00	10.90	10.90	10.90	100.00	12.07	11.60	11.60	100.00
6.4	आईसी	0.40	0.35	0.29	82.86	0.40	0.43	0.39	90.70	0.35	0.35	0.17	48.57
6.5	एनएमए	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.70	1.33	0.63	47.37
6.6	अन्य अनुसंधान कार्यक्रम	5.00	4.00	4.00	100.00	6.00	6.00	6.00	100.00	7.02	10.00	6.62	66.20
7	एनएमईटी	150.00	90.00	83.11	92.34	100.00	125.00	124.71	99.77	100.00	250.00	85.26	34.10
	कुल	1701.40	1370.68	1345.33	98.15	1466.82	1480.00	1468.02	99.19	1508.00	1689.95	1349.16	79.83

1.12 वर्ष **2022-23 (13.02.2023** तक) के दौरान **1349.16** करोड़ रुपये के कम निधि के उपयोग को देखते हुए, समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय द्वारा वर्ष **2022-23** के दौरान **1689.95** करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का पूर्ण उपयोग किया गया है। इस संबंध में समिति को बताया गया कि भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के संबंध में अन्य पूंजीगत व्यय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए व्यय की कोई गुंजाइश न होने के कारण 0.19 करोड़ रुपये और अधिसूचित एजेंसियों (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खनिज अन्वेषण कंपनी लिमिटेड, (एमईसीएल), आईबीएम, कुद्रेमुख लोह अयस्क कंपनी (केआईओसीएल), केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) और अन्य) द्वारा एनएमईटी अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में निविदा प्रक्रिया /अनुबंधों को अंतिम रूप देने/खनिज अन्वेषण परियोजनाओं का समय पर निष्पादन पूरा न करने के कारण राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास

(एनएमईटी) के संबंध में 90.00 करोड़ रुपये को छोड़कर शेष राशि का इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

अध्याय- दो

आत्म निर्भर और सतत खनन कार्य

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार की गई बहु-आयामी खनिज नीति हमारी निर्भरता को कम करेगी और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी। देश में निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और हेवी रेअर अर्थ एलीमेंटस तत्व के संसाधन हैं, लेकिन उनके भंडार की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए और अंवेषण की आवश्यकता होगी। खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की तर्ज पर रणनीतिक खनिज भंडार बनाने की आवश्यकता है और नीतियों को खनिज अंवेषण और प्रसंस्करण के लिए तकनीकी नवाचार और पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग तथा पुनर्प्रयोजन (आर3) प्रौद्योगिकियों के विकास सहित आंतरिक अनुसंधान में निवेश करने पर विचार करना चाहिए।

2.2 जब समावेशी खनिज नीति बनाने हेतु खान मंत्रालय की देख-रेख में किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 के विजन के अनुसार, खनिजों के अन्वेषण, निष्कर्षण और प्रबंधन को देश के आर्थिक विकास की समग्र रणनीति में एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों और दृष्टिकोणों द्वारा मार्गदर्शन किया जाना है। उक्त नीति में प्रावधान है कि उन खनिज संसाधनों के निष्कर्षण पर जोर दिया जाएगा जिसमें देश सुसंपन्न है ताकि घरेलू उद्योग की जरूरतों को वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से पूरा किया जा सके, साथ ही ऐसे खनिजों के लिए विदेशी बाजारों की मांग को पूरा किया जा सके।

2.3 खनन क्षेत्र में अन्वेषण कार्यकलापों में हुई हालिया प्रगति के संबंध में, समिति नोट करती है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पहली बार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन के अनुमानित लिथियम संसाधन (जी-3) का पता लगाया है।

2.4 मंत्रालय ने आगे बताया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) में जो 28.03.2021 से लागू हो गया है तथा एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधन किया है, इसका उद्देश्य अन्य

बातों के साथ-साथ खनिज उत्पादन में वृद्धि करना और खानों का समयबद्ध संचालन करना, खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाना, पट्टेदार बदलने के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और खनिज संसाधनों के अंवेषण और नीलामी की गति बढ़ाना है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में प्रस्तुत किए गए सुधारों से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को खनिज जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी।

2.5 साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को बताया है कि एमएमडीआर अधिनियम में संशोधनों का सकारात्मक प्रभाव वर्ष 2015 से नीलामी की गति में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से देखा जा सकता है। प्रति वर्ष नीलामी में चार गुना वृद्धि हुई है, और वर्ष 2015-2021 (6 वर्ष) के दौरान 108 ब्लॉक नीलाम किए गए और वर्ष 2021-22 से 2022-23 (आज तक) के दोरान 131 ब्लॉकों की नीलामी की गई। इसके अलावा, मंत्रालय ने 2023-24 तक 500 ब्लॉकों की नीलामी के लक्ष्य के साथ एक कार्य योजना तैयार की है।

2.6 खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

> ''खनिजों में आत्मनिर्भरता संसाधन संपन्नता, गवेषण, उत्पादन और उपयोगकर्ता क्षेत्र (ओं) से मांग जैसे कारकों पर निर्भर करती है। सरकार ने गवेषण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्यों को बहुत-सी भूवैज्ञानिक रिपोर्टें सौंपी हैं। सरकार ने भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए हैं। सरकार ने 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है और विरासत के मुद्दों के समाधान के साथ इस क्षेत्र में व्यापक सुधार लाए हैं, जिससे बड़ी संख्या में खानें नीलामी के लिए उपलब्ध हो गई हैं। भारतीय खनन और खनिज क्षेत्र में इन सुधारों के साथ सरकार ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस और क्षेत्र के लिए अनुकूल निवेश वातावरण बनाने की शुरुआत की है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में 2015 और 2021 में हुए संशोधन का उद्देश्य खनिजों के उत्पादन में वृद्धि और खानों के समयबद्ध संचालन, पट्टेदार के परिवर्तन के बाद भी खनन कार्यों में निरंतरता बनाये रखने और खनिज संसाधनों की खोज की गति और नीलामी बढ़ाना है।इन संशोधनों के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम में खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह कई उद्योगों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा जो मुख्य रूप से खनन क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्रियों पर निर्भर हैं। उपरोक्त उपायों का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।

भारत खनिजों में पूर्णतः या अधिकांशतः आत्मनिर्भर रहा, जो प्राथमिक खनिज कच्चा माल है जिसकी आपूर्ति कई उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रिफ्रेक्ट्रीज, सिरेमिक, कांच, रसायन आदि को की जाती है। भारत बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क, कायनाइट, चूना पत्थर, सिलिमेनाइट आदि जो मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध खनिज कच्चे माल के साथ सम्मिश्रण के लिए और/या खनिज आधारित उत्पादों के विशेष गुणों के निर्माण के लिए विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात किए जाते हैं, में आत्मनिर्भर है या आत्मनिर्भरता के समीप हैं। भारत में मैग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क, रॉक फॉस्फेट (फॉस्फोराइट) आदि की कमी है जिन्हें घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है।

2.7 खनन क्षेत्र में पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और पुनः प्रयोज्य (आर3) प्रौद्योगिकियों को संबोधित करने वाले मौजूदा प्रावधानों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया: -

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20क(2)(iV) केंद्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।

खान मंत्रालय ने जनवरी, 2021 में राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण ढांचा, 2020 प्रकाशित किया है ताकि पुनर्चक्रण के लिए ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं को अपनाकर एक औपचारिक और सुव्यवस्थित पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके

जिससे कम कार्बन फूटप्रिंट प्राप्त हो और सतत विकास एवं अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी के लिए काम किया जा सके। ढांचे के प्रमुख उद्देश्यों में गौण उद्योग के लिए पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण प्रणाली को बढ़ावा देकर लैंडफिल और पर्यावरण प्रदूषण पर उपयोग के बाद बेकार हो चुके उत्पादों के प्रभाव को न्यूनतम करना; धातु पुनर्चक्रण के माध्यम से आर्थिक संपदा सृजन, रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाने के लिए काम करना; बेस मेटल्स, महत्वपूर्ण कच्चे माल और अन्य आवश्यक सामग्रियों आदि के लिए आने वाले वर्षों में एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर जाना शामिल हैं। इस प्रकार, नेशनल नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020खनिज मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया में बेहतर दक्षता के लिए जीवन चक्र प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहता है।

इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 05.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत नेशनल नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020 में निर्धारित धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण को अधिसूचित किए जाने तक, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र, नागपुर (जेएनएआरडीडीसी) को नामित और प्राधिकृत भी किया है।

धातु अयस्क और खनिज गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर और सभी क्षेत्रों में मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए इन धातुओं का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में परिकल्पना की गई है कि यद्यपि प्राथमिक खनिज मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख स्रोत रहेंगे, तथापि पुनर्चक्रण के माध्यम से धातु की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करके आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। धातुओं की पुनःप्रयोज्य प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान करती है और इसमें ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और आर्थिक लाभ के साथ अन्य लाभ शामिल हैं।

2.8 आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खान मंत्रालय ने (काबिल), नालको, एचसीएल और एमईसीएल के सहभागी हितों के साथ खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। खान मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और संसाधन विभाग (डीआईएसईआर), ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 3 जून, 2020 को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, काबिल ने भी 10 मार्च, 2022 को डीआईएसईआर के तहत महत्वपूर्ण खनिज सुविधा कार्यालय के साथ एक सहयोगी ढांचे के साथ विस्तृत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि अंतिम संयुक्त निवेश निर्णयों के लिए लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्तियों की पहचान की जा सके और दोनों देशों के महत्वपूर्ण एवं सामरिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सके।

2.9 समझौता ज्ञापन खनन क्षेत्र के लिए कैसे लाभकारी होगा और इस तरह के किसी अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

देश के वर्तमान आर्थिक विकास के आगमन के साथ, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सुनिश्चित आपूर्ति भारत की रक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ अधिक उन्नत कम जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्धन हेतु महत्वपूर्ण है।

'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल)' नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल के साथ भारत में और इससे बाहर वाणिज्यिक उपयोग के लिए रणनीतिक खनिजों और अन्य विदेशी खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अधिग्रहण, विकास, खनन, प्रापण, खरीद और बिक्री के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। काबिल को 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों अर्थात लिथियम (Li), कोबाल्ट (Co), जर्मेनियम (Ge), इंडियम (in), बेरिलियम (Be), नाइओबियम (Nb), सेलेनियम (Se), गैलियम (Ga), टैंटलम (Ta), टंगस्टन (W), बिस्मथ (बीआई) और टिन (एसएन)के लिए विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण करना अनिवार्य है। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन केलिए महत्वपूर्ण मात्रा

में महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। इन महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान मोटे तौर पर: उनके आर्थिक विकास, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और प्रौद्योगिकी रूचि के आधार पर की जाती है।

वर्तमान में, काबिल विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान करने और देश के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे बैटरी खनिजों को प्राप्त करने पर ध्यान दे रहा है। काबिल, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे चुनिंदा स्रोत देशों के साथ प्रक्रियाधीन है, जो उद्धृत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संपन्न हैं। मुख्य उद्देश्य इन खनिजों की आपूर्ति पक्ष आश्वासन के माध्यम से देश की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, काबिल और क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस (सीएमओ) एक वाणिज्यिक सलाहकार को नियोजित करने पर सहमत हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध लिथियम ब्लॉकों पर यथोचित कार्रवाई करेगा। वाणिज्यिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई समीक्षा रिपोर्ट भारत को ऑस्ट्रेलिया में लिथियम ब्लॉक अधिग्रहित करने में निवेश करने के लिए एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी।

2.10 देश के खनिज बुनियादी ढांचे/उद्योग को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत जानकारी दी -

वर्तमान में, काबिल पूरी तरह से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की आयात निर्भरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। तथापि इन खनिजों की आपूर्ति के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

खान मंत्रालय, 2030 तक अनुमानित गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए अन्य पहलुओं की भी खोज कर रहा है ताकि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

जी-20 के तत्वावधान में खान मंत्रालय ने काबिल और उसके ज्ञान भागीदारों के माध्यम से "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में भेद्यता का समाधान करना" संबंधी एक अध्ययन कराया है। इस अध्ययन ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के

लिए महत्वपूर्ण खनिज मांग के संबंध में भेद्यता का समाधान करने के लिए चार प्राथमिकताओं की पहचान की है, जो इस प्रकार हैं:

क वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की पहचान करना और उसे बढ़ाना;

ख खनिज प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि करना और खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बाजारों का विकास करना;

ग महत्वपूर्ण खनिजों के हिस्से में कमी और नए विकल्प विकसित करना; और

घ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का समाधान करना।

अध्याय –तीन

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

सन 1851 में स्थापित, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने क्षेत्रीय खोज के साथ देश के कोयले और खनिज संसाधनों की खोज और आकलन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। बाद के वर्षों में जीएसआई ने विभिन्न भूवैज्ञानिक गतिविधियों में विविधता लाई और भूविज्ञान में योगदान कर भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया। एसआई का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना सृजन और अद्यतन करना और खनिज संसाधनों का आकलन करना है। जीएसआई ने भूमिगत, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज गवेषण, बहु-विषयक भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी भू-पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा अध्ययन, हिमनद विज्ञान, भूकंप विवर्तनिकी और मौलिक अनुसंधान किए हैं। जीएसआई का कार्य पांच मिशनों अर्थात् बेसलाइन भूविज्ञान डेटा सृजन (मिशन-I) प्राकृतिक संसाधन आकलन (मिशन-II) भू-सूचना विज्ञान (मिशन-III): मौलिक, बहु-विषयक भूविज्ञान और विशेष अध्ययन (मिशन - IV) और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (मिशन-V) के माध्यम से किया जाता है। इनके अलावा, जीएसआई में समर्थन (सपोर्ट) और क्रॉस-कटिंग समन्वय प्रदान करने के लिए तीन समर्थन तंत्र अर्थात नीति समर्थन तंत्र (पीएसएस), वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन तंत्र (एसटीएसएस) और प्रशासनिक समर्थन तंत्र (एडीएसएस) बनाया गया है।

3.2 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसआई को आवंटित बजटीय अनुदान का विस्तृत शीर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण			
शीर्ष	**जीएसआई**	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	**कुल**
स्थापना व्यय			
प्रशासनिक सहायता (मद श्रेणी I)			
वेतन	46550.00	3450.00	50000.00
भत्ता	28000.00	2000.00	30000.00

छुट्टी यात्रा रियायत	850.00	150.00	1000.00
मजदूरी	1700.00	0	1700.00
पुरस्कार	200.00	0	200.00
चिकित्सा उपचार	750.00	0	750.00
कुल	78050.00	5600.00	83650.00
प्रशासनिक सहायता कार्यकलाप (एएसए) (मद श्रेणी III)			
घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	3750.00	250.00	4000.00
विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	100.00	0	100.00
कार्यालय व्यय (ओई)	2450.00	250.00	2700.00
भूमि एवं भवन के लिए किराया, दर और कर (आरआरटी)	370.00	30.00	400.00
व्यावसायिक सेवाएं	98.00	2.00	100.00
कुल (क)	**6768.00**	**532.00**	**7300.00**
अन्य व्यय (मद श्रेणी III)			
सामग्री एवं आपूर्ति	76.00	4.00	80.00
विज्ञापन और प्रचार	145.00	5.00	150.00
गौण सिविल एवं विद्युत कार्य	2500.00	0	2500.00
मरम्मत एवं रखरखाव	100.00	0	100.00
अन्य राजस्व व्यय	390.00	10.00	400.00
कुल (ख)	**3211.00**	**19.00**	**3230.00**
कुल एएसए + कुल अन्य व्यय (क +ख)	**9979.00**	**551.00**	**10530.00**
अन्य केंद्रीय व्यय			
कार्यकलाप/मिशन			
सर्वेक्षण एवं मानचित्रण (मिशन-I) (मद श्रेणी III)			
मजदूरी	470.00	30.00	500.00
ईंधन और स्नेहक	82.00	8.00	90.00
अन्य राजस्व व्यय	12885.00	25.00	12910.00
कुल	**13437.00**	**63.00**	**13500.00**
खनिज गवेषण (मिशन-II) (मद श्रेणी III)			
मजदूरी	1440.00	60.00	1500.00

ईंधन और स्नेहक	780.00	20.00	800.00
अन्य राजस्व व्यय	3940.00	60.00	4000.00
कुल	**6160.00**	**140.00**	**6300.00**
सूचना प्रसार (मिशन-III) (मद श्रेणी III)			
अन्य व्यय			
मुद्रण और प्रकाशन	296.00	4.00	300.00
डिजिटल उपकरण	2060.00	0	2060.00
कुल	**2356.00**	**4.00**	**2360.00**
विशेषीकृत जांच (मिशन-IV क एवं ख) (मद श्रेणी III)			
मजदूरी	128.00	12.00	140.00
ईंधन और स्नेहक	32.00	8.00	40.00
अन्य राजस्व व्यय	150.00	10.00	160.00
कुल (ग)	**310.00**	**30.00**	**340.00**
अन्य गवेषण (अंटार्कटिका) (मिशन-IV ख) (मद श्रेणी III)			
अन्य राजस्व व्यय (घ)	10.00	0.00	10.00
कुल विशेषीकृत जांच + अंटार्कटिका (ग+घ)	**320.00**	**30.00**	**350.00**
अनुसंधान एवं विकास (मिशन-IV ग) (मद श्रेणी III)			
मजदूरी	108.00	12.00	120.00
सामग्री एवं आपूर्ति	638.00	12.00	650.00
ईंधन और स्नेहक	30.00	0	30.00
अन्य राजस्व व्यय	830.00	20.00	850.00
कुल	**1606.00**	**44.00**	**1650.00**
प्रशिक्षण (मिशन-V) (मद श्रेणी III)			
प्रशिक्षण व्यय	202.00	8.00	210.00
जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) (मद श्रेणी V)			
अन्य राजस्व व्यय	1750.00	0.00	1750.00
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (मद श्रेणी V)			
अन्य राजस्व व्यय	3350.00	0.00	3350.00
कुल (राजस्व)	**117210.00**	**6440.00**	**123650.00**

पूंजीगत व्यय (मद श्रेणी V)			
मोटर वाहन	200.00	0	200.00
मशीनरी एवं उपकरण	5450.00	50.00	5500.00
सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण	1460.00	40.00	1500.00
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10.00	0	10.00
कुल (पूंजी)	**7120.00**	**90.00**	**7210.00**
कुल योग (राजस्व +पूंजी)	**124330.00**	**6530.00**	**130860.00**

3.3 पिछले तीन वित्त वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान जीएसआई के कार्यकलाप-वार वित्तीय निष्पादन के बारे में पूछे जाने पर, समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:

	2020-21			2021-22			2022-23		
कार्यकलाप (मिशन)	बजट अनुमान अनुदान	संशोधित अनुमान अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान अनुदान	संशोधित अनुमान अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान अनुदान	संशोधित अनुमान अनुदान	वास्तविक व्यय (दिसंबर, 22 तक)
सर्वेक्षण और मानचित्रण (एम-I)	149.00	132.85	132.28	131.40	95.00	94.93	108.92	115.75	99.58
खनिज गवेषण (एम-II)	43.00	32.05	31.91	51.00	54.60	54.47	52.70	63.00	48.15
सूचना प्रसार (एम-III)	77.26	48.85	48.73	56.60	50.20	48.68	45.50	35.00	23.32
विशेष जांच और अंटार्कटिका	2.50	1.99	1.91	2.40	3.05	2.97	3.48	3.08	2.10

(एम-IV)									
अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) (एम-IV)	17.80	8.95	8.71	12.60	10.55	10.38	15.50	16.37	11.93
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) (एम-V)	3.30	0.60	0.60	2.00	8.30	8.30	2.00	2.00	1.68
टीएसपी	22.00	23.23	23.14	14.40	17.50	17.48	20.00	20.70 **	14.54
एससीएसपी	42.20	42.20	40.69	27.60	31.56	31.55	31.10	32.45 **	31.17
प्रशासनिक सहायता कार्यकलाप + गौण कार्य	111.90	84.50	82.78	94.97	88.61	87.54	99.86	90.26	81.03
स्थापना व्यय	772.72	688.60	688.47	722.71	759.71	759.28	768.61	817.85	681.50
कुल राजस्व	1241.68	1063.82	1059.22	1115.68	1119.08	1115.58	1147.67	1196.46	995.00
पूंजी (आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन)	108.30	52.42	51.72	65.90	51.30	50.96	57.50	57.50	31.30
कुल (राजस्व + पूंजी)	1349.98	1116.24	1110.94	1181.58	1170.38	1166.54	1205.17	1253.96	1026.30

जीएसआई में सं.अ. अनुदान की तुलना में निधि के उपयोग का प्रतिशत			99.53 %			99.67 %			81.85 %
खान मंत्रालय द्वारा सं.अ. अनुदान से राजस्व निधि का पुनर्विनियोजन	-	-		-	4.40*				
कुल (राजस्व + पूंजी)	**1349.98**	**1116.24**	**1110.94**	**1181.58**	**1174.78**	**1166.54**	**1205.17**	**1253.96**	**1026.30**

* सं.अ.-2021-22 (1174.78 करोड़ रुपये) से दिनांक 18.01.2022 के पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से मंत्रालय द्वारा आईटी (ओई) के तहत *3.00* करोड़ रुपये और मिशन II-अन्य प्रभार शीर्ष के तहत 1.40 करोड़ रुपये की राशि पुनर्विनियोजित की गई थी।

**वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 1251.91 करोड़ रुपये का सं.अ. अनुदान प्राप्त हुआ। ब.अ./सं.अ. 2022-23 के दौरान दिनांक 16.12.2022 के आईएफडी पुनर्विनियोजन के जरिये जीएसआई को 2.05 करोड़ रुपये (एससीएसपी-1.35 करोड़ रुपये और टीएसपी- 0.70 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।

3.4 जहां तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) में विभिन्न मदों में बजट परिव्यय की प्रतिशत-वार वृद्धि/कमी का संबंध है, समिति को निम्नानुसार बताया गया है:-

कार्यकलाप (मिशन)	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान	सं.अ. 2020-21 की तुलना में सं.अ. 2021-22 की वृद्धि (+) या कमी (-) (%)	सं.अ. 2021-22 की तुलना में सं.अ. 2022-23 की वृद्धि (+) या कमी (-) (%)	सं.अ. 2022-23 की तुलना में ब.अ. 2022-23 की% वृद्धि (+) या कमी (-) (%)
1	2	3	4	5	6 [(3-2)/2 *100]	7 [(4-3)/3 *100]	8[(5-4)/4 *100]
सर्वेक्षण और मानचित्रण (एम-I)	132.85	95.00	115.75	135.00	-28.49	21.84	16.63
खनिज गवेषण (एम-II)	32.05	54.60	63.00	63.00	70.36	15.38	0.00
सूचना प्रसार [आईटी और प्रकाशन] (एम-III)	48.85	50.20	35.00	23.60	2.76	-30.28	-32.57
विशेष जांच और अंटार्कटिका (एम-IV)	1.99	3.05	3.08	3.50	53.27	0.98	13.64
अनुसंधान एवं विकास (एम-IV)	8.95	10.55	16.37	16.50	17.88	55.17	0.79

एचआरडी (एम-V)	0.60	8.30*	2.00	2.10	1283.33	-75.90	5.00
टीएसपी	23.23	17.50	20.70	17.50	-24.67	18.29	-15.46
एससीएसपी	42.20	31.56	32.45	33.50	-25.21	2.82	3.24
स्थापना व्यय और अन्य व्यय	773.10	848.32	908.11	941.80	9.73	7.05	3.71
कुल (राजस्व)	1063.82	1119.08	1196.46	1236.50	5.19	6.91	3.35
आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन [पूंजीगत शीर्ष:एम एवं ई+एम V]	52.42	51.30	57.50	72.10	-2.14	12.09	25.39
कुल (राजस्व+पूंजी)	**1116.24**	**1170.38$**	**1253.96****	**1308.60**	**4.85**	**7.14**	**4.36**

* 36वें आईजीसी-2020 के लिए निर्धारित संशोधित अनुमान 2021-22 में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 7.00 करोड़ रुपये का नया आवंटन शामिल है और निधि को आईजीसी सोसायटी को अंतरित किया गया।

$ संशोधित अनुमान-2021-22 (1174.78 करोड़ रु.) से दिनांक 18.01.2022 के पुनर्विनियोजन आदेश के जरिये मंत्रालय द्वारा 4.40 करोड़ रुपये की राशि [मिशन-II-1.40 करोड़ रुपये + मिशन-III-3.00 करोड़ रुपये] पुनर्विनियोजित की गई।

**वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 1251.91 करोड़ रुपये का सं.अ. अनुदान प्राप्त हुआ। ब.अ./सं.अ. 2022-23 के दौरान दिनांक 16.12.2022 के आईएफडी पुनर्विनियोजन के जरिये जीएसआई को 2.05 करोड़ रुपये (एससीएसपी-1.35 करोड़ रुपये और टीएसपी- 0.70 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।

3.5 समिति को बताया गया है कि बजट अनुमान 2020-21 में जीएसआई के लिए बजटीय आवंटन 1349.98 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1115.01 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2020-21 के दौरान निधियों का वास्तविक उपयोग 1108.84 करोड़ रुपये था।

3.6 यह देखा गया है कि बजट अनुमान 2021-22 में जीएसआई के लिए बजटीय आवंटन 1181.58 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1174.78 करोड़ रुपये कर

दिया गया। 2021-22 के दौरान निधियों का वास्तविक उपयोग 1162.68 करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 1205.17 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 1251.91 करोड़ रुपये कर दिया गया और 13 फरवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय 1117.75 करोड़ रुपये बताया गया है और प्रतिशतवार उपयोग आवंटित निधियों का लगभग 89.28% है।

3.7 समिति संशोधित अनुमान 2022-23 पर जीएसआई की निधियों के आवंटन में वृद्धि के कारणों को जानना चाहती है। उत्तर में, खान मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, जीएसआई को 1205.17 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (ब.अ.) अनुदान प्राप्त हुआ, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 2022-23 के बजट अनुमान से 4.74% की वृद्धि के साथ बढ़ाकर 1251.91 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस अतिरिक्त निधि का उपयोग सर्वेक्षण और मानचित्रण, खनिज अन्वेषण और स्थापना व्यय शीर्षों में बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तदनुसार, विभिन्न उद्देश्य शीर्षों के तहत आवंटनों को उनकी बदली हुई आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के सभी प्रतिबद्ध व्यय को इस अतिरिक्त निधि से मंजूरी दे दी जाएगी और वित्त वर्ष 2022-23 के बिल को मंजूरी देने में किसी भी प्रकार के विलंब होने की संभावना कम है। तथापि, लिखित उत्तरों में सूचित किया गया है कि जीएसआई को कुछ खनिज अन्वेषण परियोजनाओं में वन स्वीकृति प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ा है।

3.8 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, जीएसआई को बजट अनुमान चरण में 1308.60 करोड़ रुपये (राजस्व- 1236.50 करोड़ रुपये और पूंजीगत- 72.10 करोड़ रुपये) का बजट अनुमान अनुदान आवंटित किया गया है। इस 1308.60 करोड़ रुपये के कुल आवंटित बजट अनुदान में से 65.30 करोड़ रुपये एनईआर के कार्यकलापों के लिए आवंटित किए गए हैं। स्थापना व्यय के लिए आवंटित परिव्यय 836.50 करोड़ रुपये और प्रशासनिक सहायता कार्यकलापों एवं अन्य व्यय के लिए 105.30 करोड़ रुपये है। जीएसआई मिशन कार्यकलापों के लिए आवंटित परिव्यय 294.70 करोड़ रुपये है और जीएसआई के आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन कार्यकलापों के लिए पूंजीगत परिव्यय 72.10 करोड़ रुपये है। यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2023-24 के दौरान बजट अनुमान का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रस्तावित उपाय किए गए हैं, मंत्रालय ने

एक लिखित उत्तर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जीएसआई द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों के बारे में बताया है:-

क) जीएसआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी कार्यकलापों के निष्पादन के लिए प्रचालन इकाइयों द्वारा प्रस्तुत निधि की मांग की गंभीरता से समीक्षा की है और प्रतिबद्ध व्ययों को प्राथमिकता देते हुए तथा प्रचालन कार्यकलापों के निष्पादन के लिए बजट अनुदान को सभी शीर्षों में विवेकपूर्ण तरीके से प्रस्तावित किया गया है ताकि उपलब्ध धनराशि से वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

ख) जीएसआई, लेखा नियंत्रक और खान मंत्रालय के सभी क्षेत्रों/मिशनों के साथ तालमेल से विभिन्न शीर्षों के तहत निधि उपयोग की समय-समय पर निगरानी की जाती है।

ग) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत जीएसआई के सभी कार्यकलापों के निष्पादन के लिए आवंटित बजट अनुदान के बारे में क्षेत्रों/मिशनों/सहायता प्रणालियों के प्रमुखों को प्रभावी योजना और निधियों के प्रबंधन के लिए बहुत पहले ही सूचित किया गया है।

घ) जीएसआई कार्यकलापों के सुचारू संचालन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट अनुदान से वित्त वर्ष 2022-23 के लंबित बकायों, यदि कोई हो, को तुरंत भुगतान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

ङ) निधि के प्रभावी उपयोग की निगरानी के लिए क्षेत्रीय/मिशन/सहायता प्रणाली के साथ बजट अनुदान के उपयोग की आवधिक समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी जीएसआई के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन दोनों की समय-समय पर समीक्षा करते हैं।

च) भारत सरकार के पीएफएमएस मॉड्यूल के तहत सभी वित्तीय लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा रहे हैं ताकि सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निधि के उपयोग की स्थिति की निगरानी की जा सके।

जीएसआई का आधुनिकीकरण

3.9 पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसआई के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों के उपयोग के साथ-साथ वित्तीय आवंटन के विवरण और धन के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में आधुनिकीकरण गतिविधियों के लिए आवंटित पूंजीगत निधि का इष्टतम (~ 99%) उपयोग किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसआई के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए पूंजीगत निधि के उपयोग और 2022-23 के दौरान निधि के संभावित उपयोग और 2023-24 के दौरान निधि के आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
पूंजी शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	दिनांक 08.02.23 तक व्यय	ब.अ.
करोड़ रुपये में	101.40	80.70	79.75 (98.82%)	108.30	52.42	51.72 (98.66%)	65.90	51.30	50.96 (99.33%)	**57.50**	**57.50**	37.43 (मार्च, 23 तक निधि का इष्टतम अर्थात 65% उपयोग किया	72.10

3.10 जीएसआई के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में वर्तमान स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया कि जीएसआई को विश्व स्तरीय भू-वैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए, क्षेत्र और प्रयोगशालाओं की क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम बहुत

पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं; महत्वपूर्ण भू-विज्ञान डेटा सृजन और उनके प्रसंस्करण, व्याख्या के साथ-साथ जीएसआई की प्रचालन गतिविधियों का समर्थन करने वाली क्षमताओं में सुधार के लिए चरणबद्ध तरीके से हाई-एंड मशीनरी और उपकरण खरीदे जा रहे हैं. इस क्रम में, जीएसआईचरणबद्ध तरीके से विभिन्न भूवैज्ञानिक / भूभौतिकीय / रासायनिक प्रयोगशाला और क्षेत्र आधारित उपकरणों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल रिग्स की प्रापण कर रहा है; कागज रहित कार्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से, जीएसआईने ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम (ओसीबीआईएस) पोर्टल को कार्यान्वित किया है। जीएसआई ने ई-गवर्नेंस के भाग के रूप में सरकारी फ़ाइल संचलन के लिए ई-ऑफिस शुरू किया है। जीएसआई ने एकल विंडो प्लेटफॉर्म में हितधारकों के उपयोग के लिए सभी भूविज्ञान डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए नेशनल भूविज्ञान डेटा कोष (एनजीडीआर) की स्थापना के लिए पहल की है; हाल के वर्षों में जिन महत्वपूर्ण मशीनरी की प्रापण की गई है और जो जीएसआई की विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रचालनरत हैं उनमें लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्राइनोक्युलर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, लेजर एब्लेशन मल्टी कलेक्टर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज़्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर (एलए-एमसी-आईसीपी-एमएस), इलेक्ट्रॉन जांच माइक्रो विश्लेषक (ईपीएमए), ईडीएक्स के साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम), डीटी-टीजीए यूनिट, डीजीपीएस, ग्रेविमीटर, मैग्नेटोमीटर, जियोफिजिकल लॉगर्स आदि शामिल हैं। ये सभी हाई-एंड उपकरण गुणवत्ता पूर्ण डेटा सृजन करते हैं और जीएसआई के साथ-साथ देश के अन्य भूवैज्ञानिक संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं; और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रमुख भूवैज्ञानिक रसायन, भूभौतिकीय और ड्रिलिंग उपकरणों की खरीद के लिए योजना बनाई गई।

3.11 मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रमुख भूवैज्ञानिक रासायनिक, भूभौतिकीय और वेधन उपकरणों की प्रापण के लिए बनाई गई योजना में ईपीएमए, रॉक सेक्शन कटिंग मशीन, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, सहायक वाले सूक्ष्म-विवर्तन के साथ एक्सआरडी यूनिट, आइसोटोप रेश्यो मैन स्पेक्ट्रोमीटर (आईआरएमएस), वेरिएबल प्रेशर मोड के साथ एफईएसईएम और एसई, बीएसई, ईडीएस और सीएल डिटेक्टर, ग्रेविमीटर, मैग्नेटोमीटर, डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम- ईडीएक्स), एसेसरीज के साथ

आईसीपीएमएस, एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर, डायरेक्ट मरकरी एनालाइज़र, एएएस, प्लैनेटरी बॉल मिल, ग्रेडियोमीटर , स्किंटिलोमीटर, स्क्रबर्स के साथ फ्यूम हुड्स, अल्ट्रा वाइडबैंड एमटी सिस्टम, एनएलएफसी परियोजना के लिए उपकरण, अभियान मोड जीपीएस/डीजीपीएस, डीजीपीएस, टोटल फील्ड मैग्नेटोमीटर प्रतिरोधकता उपकरण, 3डी टीएलएस, हैंड हेल्ड पोर्टेबल गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोस्टैटिक रिग्स, वेधन एक्सेसरीज, फील्ड वाहन आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जीएसआई परियोजनाएं

3.12 समिति को सूचित किया गया है कि जीएसआई एनईआर में सभी मिशन (1-वी) कार्यकलापों को पूरा करता है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिशानिर्देश के अनुसार, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिशा-निर्देश के अनुसार, एनईआर में सभी कार्यकलापों के निष्पादन के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 10% जीबीएस आवंटित किया जाता है।

3.13 पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए एनईआर में जीएसआई के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:-

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसआई, एनईआर का वास्तविक निष्पादन:

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
कार्यकलापों के प्रकार	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	जनवरी 2023 तक उपलब्धि
मिशन-I : आधारभूत भूविज्ञान डाटा सृजन								
विशेष विषयगत मानचित्रण (वर्ग कि.मी.)	1000	1163	1540	2118	1700	2278	1100	1027
भू-रासायनिक मानचित्रण (वर्ग कि.मी.)	1300	2055	4200	5731	7000	11867	15000	16870
भूभौतिकीय मानचित्रण (वर्ग कि.मी.)	2800	4035	2800	1800	2800	2800	2800	1832.5
मिशन-II : प्राकृतिक संसाधन आकलन								
बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) (वर्ग कि.मी.)	600	860	500	516.15	400	465	500	683.2

विस्तृत मानचित्रण (डीएम) (वर्ग कि.मी.)	20	24.13	4.0	5.3	5	11.35	4	7.70
बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) (वर्ग कि.मी.)	8000	5287.18	4500	2081.00	3000	2360.06	1500	2752.25
मिशन-III : भू-सूचना विज्ञान								
मानचित्र और प्रकाशन (परियोजनाओं की संख्या)	5	6	5	7	5	08	7	7 प्रगति पर
मिशन-IV: आधारभूत और बहुविषयक भूविज्ञान								
आधारभूत और बहुविषयक भूविज्ञान(परियोजनाओं की संख्या)	25	33	18	30	20	32	20	20 प्रगति पर
मिशन-V: प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण								
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (पाठ्यकर्मों की संख्या)	10	21	14	15	14	16	13	13 पूर्ण

नोट: कार्य सत्र 2022-23 की परियोजनाओं को मार्च, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है।

3.14 पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसआई, एनईआर (कार्यकलाप-वार) का वित्तीय निष्पादन:-

क्र. स.	जीएसआई मिशन/कार्यकलाप का नाम	ब.अ./ सं.अ. (2019-20) में एनईआर के लिए आवंटन	एनईआर में वास्तविक व्यय (2019-20)	ब.अ./ सं.अ. (2020-21) में एनईआर के लिए आवंटन	एनईआर में वास्तविक व्यय (2020-21)	ब.अ./ सं.अ. (2021-22) में एनईआर के लिए आवंटन	एनईआर में वास्तविक व्यय (2021-22)	ब.अ. (2022-23) में एनईआर के लिए आवंटन	जनवरी, 2023 तक एनईआर (2022-23) में वास्तविक व्यय
1	सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना (मिशन-I)	0.80	0.53	0.80	0.73	0.60	0.86	0.60	1.19
2	खनिज गवेषण योजना (मिशन-II)	1.65	1.66	1.70	3.75	1.15	3.77	1.35	2.86
3	सूचना प्रसार योजना (मिशन-III)	1.25	0.56	0.55	0.51	1.04	3.21	0.54	0.33
4	विशेष जांच योजना और अन्य गवेषण (अंटार्कटिका) (मिशन-IV)	0.45	0.41	0.40	0.38	0.45	0.58	0.45	0.42
5	अनुसंधान एवं विकास योजना (मिशन-IV)	0.46	0.28	0.63	0.48	0.37	0.50	0.37	0.42
6	मानव संसाधन विकास योजना (एम-V)	0.17	0.16	0.15	0.15	0.08	0.10	0.08	0.14

7	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी)	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जनजातीय क्षेत्र उप योजना स्कीम (टीएसपी)	0.00	2.70	0.00	1.89	0.00	1.12	0.00	2.23
9	आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजना (एम V और एम एंड ई)	1.40	1.66	1.20	1.20	0.60	3.36	0.60	0.98
10	प्रबंधन एवं प्रशासन	63.17	67.12	68.07	72.60	59.61	72.08	60.51	71.21
	कुल	**69.35**	**75.17**	**73.50**	**81.69**	**63.90**	**85.58**	**64.50**	**79.78**

टिप्पणी: वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 10%जीबीएस आवंटित किया जाता है। तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एनईआर में आवश्यकता के अनुसार सभी कार्यकलापों के निष्पादन के लिए जीएसआई बजट से एनईआर को गैर-एनईआर बजट अनुदान से 5.82 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020-21 में 8.19 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 21.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि आवंटित की गयी थी।चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक 24.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि के साथ कुल मिलाकर 89.01 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

अध्याय चार

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

मंत्रालय की वाषक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश के कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और गौण खनिजों के अलावा खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास, खनिजों के संरक्षण, खानों में पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात् खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988/2017 और खनिज रियायत नियम, 1960/2016 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियम को लागू करने के सम्बन्ध में विनियामक कार्य करता है । यह खनन, भूवैज्ञानिक अध्ययन, अयस्क सज्जीकरण और पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक, तकनीकी-आर्थिक, अनुसंधान-उन्मुख अध्ययन के कार्यों को भी करता है।

4.2 व्यय की प्रवृत्ति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
ब.अ.	128.31	110.00	113.00
सं.अ.	94.00	103.14	105.25
वास्तविक व्यय	85.67	93.18	84.29 (13.02.2023 तक
व्यय का प्रतिशत	91.14	90.34	80.09

4.3 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सं.अ. चरण में आईबीएम के लिए आवंटित धन में कमी की गई थी। इन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक व्यय में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है।

4.4 वर्ष **2021-22** और **2022-23** में ब.अ. चरण से आईबीएम को सं.अ. चरण में आवंटित निधियों में कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने समिति को बताया है कि(बी ई) बजट अनुमान, **2021-22** से (आर ई) संशोधित अनुमान, **2021-22** पर आवंटित धनराशि को कम करने का कारण रिक्त पदों को नहीं भरा जाना है; मैसर्स विप्रो/एनआईएसजी की सेवाओं की समाप्ति के कारण एमटीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को रोकने, कोविड*19* के कारण सरकारी दौरों की कम संख्या, कोई स्थानांतरण न होने और कोई ऑफ़लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम न होने के कारण; तथा अनुसूचित जाति (एससीपीएससी), जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएएसपी) और वस्तु शीर्ष (ओसीई) (एनईआर) आदि के लिए विशेष घटक योजना के तहत खर्च करने की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि बजट अनुमान, ब.अ., 2022-23 (रुपये 113.00 करोड़) से संशोधित अनुमान,(सं.अ.) 2022-23 (रुपये 103.20 करोड़) पर आवंटित निधि में 80 करोड़ रुपये की कमी का कारण मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने के कारण 7.00 करोड़ रुपये के वस्तु शीर्ष वेतन में कमी और 2.05 करोड़ रुपये की निधि जीएसआई को वस्तु शीर्ष एससीपीएससी और टीएएसपी के तहत अंतरित करने के कारण है ।

4.5 वर्ष 2021-22 और 2022-23 में निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, यह बताया गया है कि निधि के उपयोग में कमी यूपीएससी और एसएससी में लंबित सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति मांग के पूरा न होने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मामलों में वृद्धि, एलटीसी के कम दावों, एमएसीपी बकाया, अवकाश नकदीकरण, कोविड-19 के कारण सरकारी दौरों की संख्या में कमी, स्थानांतरण अग्रिम और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए कम दावों की प्राप्ति, कोविड-19 के कारण विदेश यात्रा के लिए प्रतिनिधियों के रूप में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति न होना, और साथ ही आईबीएम द्वारा जारी एलओए के मुकाबले सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए कम खर्च, कार्यान्वयन एजेंसी मैसर्स विप्रो द्वारा काम बंद करने के कारण माइनिंग टेनमेंट सिस्टम (एमटीएस) परियोजना के

कार्यान्वयन में देरी और परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में मैसर्स एनआईएसजी की सेवाओं की समाप्ति तथा एनआईसी को कार्यान्वयन के लिए इस कार्य का पुनर्आवंटन के कारण हुई।

4.6 वर्ष 2023-24 के लिए बजट यी राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम द्वारा प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष 2023-24 के लिए बजट परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, धन के उपयोग और व्यय के प्रतिशत की निगरानी वरिष्ठतम स्तर पर की जा रही है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आईबीएम अपने अनिवार्य कार्यों के चार्टर के अनुसार अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसा कि आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 3 नवंबर, 2014 के संकल्प संख्या 31/49/2014 - एम 3, दिनांक 3 नवंबर, 2014 द्वारा अधिसूचना के लिए दिया गया है और 22 नवंबर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

4.7 वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित योजनावार गतिविधियां की जा रही हैं-:

क्र.सं.	योजना संख्या और योजना का नाम	2023-24 में की जा रही गतिविधियाँ
1	**योजना क्रमांक 1: वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण एवं खान पर्यावरण हेतु खानों का निरीक्षण।**	1. एमसीडीआर/एमपीआई/एमएसआई के लिए खानों का निरीक्षण 2. खनन योजना/खनन योजना की समीक्षा / एफएमसीपी निपटान 3. खानों की स्टार रेटिंग
2	**योजना संख्या 2: खनिज सज्जीकरण अध्ययन - निम्न श्रेणी और उप-श्रेणी के अयस्कों का उपयोग और पर्यावरण नमूनों का विश्लेषण**	1. अयस्क प्रसाधन जांच 2. खनिजीय परीक्षण 3. रासायनिक विश्लेषण 4. इन-प्लांट अध्ययन
3	**योजना संख्या 3: तकनीकी उन्नयन**	1. जनशक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन

	और आधुनिकीकरण	तकनीकी परामर्श और कार्य खनन अनुसंधान 2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना 3. एमएसएस और सुदूर दृष्टि का कार्यान्वयन 4. जीआईएस प्लेटफॉर्म पर खनन पट्टों के भूमि उपयोग वर्गीकरण का सृजन 5. दो मिलियन टन से अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना वाली खानों के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल हवाई चित्र और खनन योजना डेटा का प्रोसेसिंग और विश्लेषण।
4	**योजना संख्या 4: विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से खानों और खनिजों पर डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण, प्रसार**	1. प्रमुख प्रकाशन आईएमवाईबी सहित खानों और खनिजों पर प्रकाशनों का विमोचन 2. खनिजों और धातुओं के लिए मासिक एएसपी का प्रकाशन 3. दिनांक 1.4.2020 को एनएमआई को अद्यतन करने का कार्य पूरा करना 4. सलाहकार सेवाएं
5	**योजना संख्या 5: खनन टेनेमेंट प्रणाली का कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर (एमटीएस)**	एमटीएस के चरण I और II मॉड्यूल का विकास

4.8 मंत्रालय ने यह भी बताया कि विस्तृत वार्षिक योजना 2023-24 की तैयारी प्रगति पर है।

4.9 यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2023-24 के दौरान कुछ नई परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है और वर्ष के दौरान वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों की इष्टतम उपलब्धियों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं,मंत्रालय ने बताया है कि आईबीएम ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं दिया है।विशेष वर्ष के दौरान वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों

की इष्टतम उपलब्धियों के लिए आईबीएम द्वारा किए जा रहे प्रयास निम्नलिखित "निगरानी तंत्र" के रूप में हैं:

(एक) वार्षिक योजना आईबीएम के कार्यों के चार्टर के अनुसार और वर्ष के दौरान वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार तैयार की जाती है।

(दो) किसी विशेष वर्ष के लिए वार्षिक योजना के अनुसार, अधिकारियों के लिए जिम्मेदारियां तय करने वाली माह-वार/तिमाही-वार गतिविधियों के साथ एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है, वर्ष की शुरुआत में इसके बारे में खान मंत्रालय को सूचित किया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है।

(तीन) कार्य योजना के अनुसार मासिक प्रगति की निगरानी आईबीएम के स्तर पर मासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है और मासिक प्रगति मंत्रालय को भेजी जाती है।

(चार) खान मंत्रालय समीक्षा बैठकों के माध्यम से निष्पादन की निगरानी करता है।

(पांच) कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी संसदीय समिति किसी विशेष वर्ष के लिए अनुदान मांगों के समय पर वार्षिक आधार पर आईबीएम के निष्पादन की निगरानी करती है।

(छह) अगली योजना/वित्त आयोग में जारी रखने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

4.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आईबीएम द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को बताया कि आईबीएम की एनईआर में कम उपस्थिति है, जहां आईबीएम का केवल एक क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, असम में स्थित है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में, राजस्व के तहत 1.43 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद के तहत 0.19 करोड़ रुपये सहित के लिए 1.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एनईआर बजट का राजस्व हिस्सा गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपयोग किया जाता है और जनवरी, 2023

तक व्यय 122.00 लाख रुपये है लेकिन पूंजीगत आवंटन के लिए व्यय की कोई गुंजाइश नहीं है।

4.11 जैसा कि आईबीएम ने हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनागत 10% अनिवार्य आवंटन से छूट के मामले को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) विभाग के समक्ष रखने के लिए खान मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है। इसके अलावा, आईबीएम निधि के प्रभावी उपयोग के लिए ओसीई (एनईआर) के तहत आवंटित निधि को जीएसआई को अंतरित करने के मामले को मंत्रालय के साथ नियमित रूप से उठा रहा है।

4.12 वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक निष्पादन के संबंध में, गुवाहाटी स्थित आईबीएम के क्षेत्रीय कार्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में संसाधनों के विकास पर खानों का निरीक्षण और अध्ययन करना जारी रखा। वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीडीआर, 2017 के प्रावधानों को लागू करने और खनन योजना के प्रसंस्करण और निपटान/खनन योजना की समीक्षा के लिए एनईआर में 14 निरीक्षण किए गए।

अध्याय-पांच

एसएंडटी और अन्य कार्यक्रम

खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के विचार से, खान मंत्रालय ने एक व्यापक विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें (एक) अनुसंधान एवं विकास घटक, (दो) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), (तीन) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंन्द्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के आरएंडडी सुविधाओं के उन्नयन हेतु एकमुश्त पूंजी घटक शामिल हैं।

5.2 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, ब.अ. 2022-23 में {राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार (एनएमए) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) सहित} एस एंड टी कार्यक्रम के लिए आवंटित ₹30.19 करोड़ की राशि जिसे संशोधित अनुमान चरण में बढ़ाकर ₹32.45 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार ₹27.83 है। यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय के एसएंडटी कार्यक्रम पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है,मंत्रालय ने बताया कि ब.अ. 2022-23 में एसएंडटी कार्यक्रम (राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार (एनएमए) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को छोड़कर) के लिए 29.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसे सं.अ. 2022-23 में बढ़ाकर 30.77 करोड़ रुपये कर दिया गया।

5.3 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह भी बताया कि एस एंड टी कार्यक्रमों के तहत खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त संस्थानों यथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम), जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंन्द्र (जेएनएआरडीडीसी) को वेतन और पूंजीगत अनुदान, एस एंड टी प्रोजेक्ट्स, और खान मंत्रालय के विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रम योजना के तहत आईईसी घटक शामिल है।

5.4 वर्ष 2022-23 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का संभावित व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	संगठन	शीर्ष	2022-23
1	एनआईआरएम	अनुदान सहायता वेतन	6.75
		पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	2.42
2	जेएनएआरडीडीसी	अनुदान सहायता वेतन	7.6
		पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	4
3	अन्य अनुसंधान कार्यक्रम (एस एंड टी योजना)	सामान्य अनुदान सहायता	10
कुल			**30.77**

5.5 यह पूछे जाने पर कि आरई स्तर पर वर्ष 2022-23 के दौरान एसएंडटी कार्यक्रम के लिए वर्धित आवंटन के क्या कारण है और वर्धित आवंटन के आलोक में प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा क्या है,मंत्रालय मे लिखित उत्तर में बताया है कि पिछले 3 वर्षों से, परियोजना प्रस्ताव सत्यभामा पोर्टल (खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना) के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं और यह देखा गया है कि खनन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं की संख्या और गुणवत्ता धीरे-धीरे बढ़ रही है। वर्धित आवंटन देश में अधिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य अंततः देश और इसके लोगों के हित के लिए देश के खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संरक्षण करना है।

5.6 मंत्रालय के एसएंडटी कार्यक्रम के तहत,बीई 2023-24 स्तर पर (एनएमए और आई सी

को शामिल करते हुए) 28.82 करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की गई है। यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2022-23 र 2023-24 के दौरान आंवटन के बीच भिन्नता के क्या कारण थे, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया है:

"निधि की आवश्यकता अनुदान प्राप्तकर्ता स्वायत्त संस्थानों (जेएनएआरडीडीसी और एनआईआरएम) को वेतन और पूंजीगत अनुदान की मांग और वर्ष में अनुदान के लिए अनुमोदित गुणवत्ता परियोजना प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, अनुदानग्राही स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण के निर्णय के कारण वेतन अनुदानों के लिए कम राशि आवंटित की जा रही है। इसलिए, निधि की मांग आधारित प्रकृति और अनुदानग्राही स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण का निर्णय ब.अ. 2022-23 और ब.अ. 2023-24 के बीच भिन्नता के कारण हैं।"

5.7 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान वास्तविक लक्ष्यों अर्थात उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुदानग्राही स्वायत्त संस्थानों जैसे एनआईआरएमऔर जेएनएआरडीडीसी को सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान पूंजी के संबंध में, आवंटित राशि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

एसएंडटी कार्यक्रम योजना के संबंध में, गुणवत्ता परियोजनाओं का चयन एक प्रक्रिया पर आधारित होता है जिसमें परियोजना प्रस्तावों का चयन, परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा समिति (पीईआरसी) के समक्ष संबंधित संस्थानों द्वारा चयनित प्रस्तावों की प्रस्तुति और सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह (एसएसएजी) का अंतिम अनुमोदन सहित मूल्यांकन के विभिन्न चरण शामिल होते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या उस वर्ष के दौरान प्राप्त गुणवत्ता परियोजना प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है।"

अध्याय-छह

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी)

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) को देश में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के उद्देश्य से खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग की उप धारा (1) के अनुसरण में दिनांक 14 अगस्त, 2015 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था एनएमईटी नियमों को भी दिनांक 14.08.2015 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम के अनुसार, खनन पट्टे और पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक न्यास को रॉयल्टी के भुगतान साथ-साथ राज्य सरकार को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में प्रदत रॉयल्टी के 2 प्रतिशत का भुगतान करेंगे।

6.2 एनएमईटी की दो स्तरीय संरचना है। न्यास के नीति निदेश शासी निकाय (जीबी) में निहित होते हैं और कार्यकारी समिति (ईसी) न्यास के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण कर रहा है। जीबी की अध्यक्षता माननीय खान मंत्री और ईसी की अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। इसके अलावा, एनएमईटी वित्तपोषण के लिए अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों (एनईए) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के तकनीकी और लागत मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) का भी गठन किया गया है। टीसीसी ईसी को अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रस्तावों की सिफारिश करती है।

6.3 एनएमईटी की दिनांक 30.11.2022 को कुल उपार्जित निधि 4266 करोड़ रुपये है। और दिनांक 30.11.2022 तक एनएमईटी का कुल व्यय 520 करोड़ रुपये है और इसमें से 75 करोड़ रुपये को वित्त वर्ष 2022-23 (दिनांक 30.11.2022 तक) के दौरान व्यय किया गया है।

6.4 वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
ब.अ.	150.00	100.00	100.00
सं.अ.	90.00	125.00	250.00
वास्तविक प्रतिशत	83.11,(92.34%)	124.71, (99.77%)	85.26, (34.10%)

6.5 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमश: 150.00 करोड़ रुपये और 90.00 करोड़ रुपये की तुलना में एनएमईटी 83.11 करोड़ रुपये व्यय कर सका। वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमश: 100.00 करोड़ रुपये और 125.00 करोड़ रुपये की तुलना में एनएमईटी 124.71 करोड़ रुपये व्यय कर सका

6.6 वर्ष 2022-23 के दौरान एनएमईटी को 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान के स्तर पर इसे बढ़ाकर 250.00 करोड़ रुपये कर दिया गया, जबकि दिनांक 13.02.2023 तक 85.26 करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग किया जा सका।

6.7 मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास मुख्य रूप से देश में खनिज अन्वेषण कार्यकलापों और आधारभूत भूविज्ञान को पूरा करने हेतु अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों (एनईए) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तदनुसार, एनएमईटी बजट का उपयोग वर्ष के दौरान एनईए की कार्यकलापों की गति पर निर्भर करता है।

6.8 इसके अलावा, यह बताया गया सं.अ. 2022-23 में 250 करोड़ रुपये के वर्धित आवंटन का मुख्य कारण एनईए द्वारा विशेष रूप से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में हुए व्यय के लिए सं.अ. 2022 -23 स्तर पर सितंबर, 2022 में प्रस्तुत निधि हेतु आवश्यकता का विवरण था। जीएसआई और एमईसीएल द्वारा प्रस्तुत विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

एजेंसी का नाम	निधि अनुमान (सं.अ. 2022-23 चरण पर सितंबर 2022 में प्रस्तुत)	सं.अ. 2022-23 को अंतिम रूप देने के बाद दिसंबर, 2022 में प्रस्तुत संशोधित निधि अनुमान	शेष निधि (2022-23 के दौरान उपयोग नहीं की जाएगी)
जीएसआई	84.64	13.28	71.36
एमईसीएल	76.38	47.77	28.61
कुल	161.02	61.05	99.97

6.9 250 करोड़ रुपये का वर्धित आवंटन का अनुमान सितंबर, 2022 में जीएसआई और एमईसीएल सहित एनईए से प्राप्त सूचना के आधार पर लगाया गया था। तथापि, ऊपर उल्लेख किया गया है, जीएसआई और एमईसीएल द्वारा प्रस्तुत संशोधित निधि अनुमानों के कारण, एनएमईटी वर्ष 2022-23 के दौरान 160 करोड़ रुपये के बजट का उपयोग करने में सक्षम होगा

6.10 यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2022-23 के दौरान अन्वेषण एजेंसियों द्वारा की गई परियोजनाओं में से एनएमईटी द्वारा कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, मंत्रालय ने बताया कि एनएमईटी द्वारा वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।

6.11 जहाँ तक वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि/उपयोगता सुनिश्चित करने हेतु एनएमईटी द्वारा किए गए अग्रिम उपायों का संबंध है, खान मंत्रालय ने समिति को निमंवत बताया किया है:-

> "एनईए को उपलब्धियों और संबंधित वित्तीय निहितार्थों के साथ किए जाने वाले कार्यों के संबंध में अवधि-वार और चरण-वार अनुमान प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है; परियोजना कार्य की नियमित निगरानी हेतु एनईए से चालू परियोजनाओं की आवधिक

प्रगति रिपोर्ट हासिल की जा रही है; एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति के माध्यम से नियमित रूप से चल रही परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। राज्य में खनिज अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा खनिज अन्वेषण बुनियादी ढांचे की मजबूती हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

6.12 जब एनएमईटी को वर्ष 2023-24 के दौरान 400 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने का औचित्य के बारे में पूछा गया, तो समिति को बताया गया कि बजट परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग और परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम रूप से उपाय किए जा रहे। इस संबंध में मंत्रालय ने आगे निम्नवत यह भी बताया:-

एनएमईटी को वर्ष 2023-24 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनएमईटी अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में एनईए द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार निधि का अनुमान लगाया गया था:

क्र. सं.	क्रियान्वयन एजेंसी	2015-21		2021-22		2022-23		योग	
		सं	राशि (करोड़ में)	सं	राशि (करोड़में)	सं.	राशि (करोड़में)	सं	राशि (करोड़में)
1	जीएसआई	16	451.47	3	667.20	4	110.17	23	1228.84
2	एमईसीएल	100	413.07	16	43.88	19	25.57	135	482.52
3	अन्य	49	75.04	13	40.35	43	147.06	105	262.45
योग		**165**	**939.58**	**32**	**751.43**	**66**	**282.80**	**263**	**1973.81**

6.13 यह पूछे जाने पर कि क्या एनएमईटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में अन्वेषण कार्यकलापों को पूरा करने हेतु खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को भी निधि प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि निजी अन्वेषण एजेंसियों को पहले खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाना होगा। अब तक, खान मंत्रालय ने 12 निजी अन्वेषण एजेंसियों को एनईए के रूप में अधिसूचित किया है और 12 अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) ने 91 खनिज अन्वेषण परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है।

6.14 ऐसी निजी अन्वेषण परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अनुमानित लक्ष्य - वास्तविक और वित्तीय - के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि राज्य सरकारें अधिसूचित निजी अंवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की अंवेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) को प्रस्तुत करेंगी। अनुमानित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को खनिज अंवेषण प्रस्तावों के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

अध्याय-सात

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), एक मिनिरत्न श्रेणी- I, भारत सरकार (जिओआई) उद्यम को खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 9 नवंबर 1967 को शामिल किया गया था। इसे भारत सरकार के उद्यम के रूप में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से तांबे के भंडार के अन्वेषण और दोहन से संबंधित सभी संयंत्रों, परियोजनाओं, योजनाओं और अध्ययनों का अधिग्रहण करने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत की एकमात्र कंपनी है जो तांबा अयस्क के खनन में लगी हुई है और तांबा अयस्क के सभी परिचालन खनन पट्टों का स्वामित्व इनके पास है और यह परिष्कृत तांबे का एकमात्र एकीकृत उत्पादक (वर्टिकली एकीकृत कंपनी) भी है। एचसीएल के प्रमुख कार्यकलापों में खनन, अयस्क सज्जीकरण, प्रगलन, शोधन और डाउनस्ट्रीम उत्पाद के रूप में रिफाइंड कॉपर मेटल को कंटीन्यूअस कास्ट रॉड (सीसीआर) में परिवर्तित करना शामिल है। एचसीएल ने वर्ष 2015-16 में मैसर्स एआरसीआईएल (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड) से झगड़िया कॉपर लिमिटेड (जेसीएल) की परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर जीसीपी (गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट) रखा गया । इस अधिग्रहण के साथ, एचसीएल के पास अब राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पांच संचालन इकाइयां हैं।

7.2 जहाँ तक वर्ष 2020-21, 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान एचसीएल की विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधि के ब.अ., सं.अ. और वास्तविक उपयोग का संबंध है, समिति को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई: -

2020-21

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
विस्तार परियोजनाएं	235.00	170.00	188.73
ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन	10.00	5.00	8.62
प्रतिस्थापन और नवीनीकरण	15.00	15.00	5.71
खान विकास	340.00	170.00	169.30
कुल	**600.00**	**360.00**	**372.36**

2021-22

(करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-2022		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
विस्तार परियोजनाएं	170.00	170.00	108.76
ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन	10.00	10.00	18.35
प्रतिस्थापन और नवीकरण	10.00	10.00	49.08
खान विकास	160.00	160.00	251.87
कुल	**350.00**	**350.00**	**428.06**

2022-23

(करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (जनवरी 23 तक)
विस्तार परियोजनाए	169.00	169.00	38.95
हरित क्षेत्र गवेषण	56.00	56.00	19.07
प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण	25.00	25.00	27.95
खान विकास	100.00	100.00	161.52
कुल	**350.00**	**350.00**	**247.50**

7.3 यह भी बताया गया है कि वित्तीय आवश्यकताओं को बाजार से, उधारों से और आंतरिक उपार्जन से जुटाए गए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) निधि से पूरा किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं मांगी गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 31 मार्च, 2023 तक निधि के उपयोग का संभावित आंकड़ा 351.45 करोड़ रुपये होगा।

7.4 बजट अनुमान 2023-2024 के लिए योजना/परियोजना-वार वार्षिक योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	ब.अ. - 2023-24
विस्तार परियोजनाएं	225.00
हरित क्षेत्र गवेषण	55.00
प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण	10.00
खान विकास	60.00
कुल	**350.00**

7.5 एचसीएल के वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान वास्तविक उपलब्धि की तुलना में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	
	लक्ष्य	वास्तविक
अयस्क (लाख टन)	43.00	32.73
मेटल-इन-कंसंट्रेट (टन)	34000	23866

7.6 यह बताया गया है कि वास्तविक उपलब्धियों में भिन्नता का कारण अयस्क और मेटल-इन-कंसंट्रेट (टन) (एमआईसी) का उत्पादन लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के

सामजिक दूरी के नियम को बनाए रखने, झारखंड राज्य सरकार द्वारा 31.3.2020 को समाप्त हो चुके खनन पट्टे का नवीकरण नहीं होने के कारण घाटशिला, झारखंड में सुरदा खान में उत्पादन रोकना, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी), राजस्थान में अयस्क की निम्न श्रेणी और पानी की कमी, एमसीपी, एमपी में खुले खान में अयस्क का निम्न ग्रेड जो अपनी अंतिम गहराई तक पहुंच गया है और खुले गड्ढे से भूमिगत खनन में संक्रमण के चरण में था, एमसीपी के निचले बेंचों में खनन को प्रभावित करने वाली भारी बारिश आदि है।

7.7 जहां तक वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान वास्तविक उपलब्धि की तुलना में निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का संबंध है, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है: –

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	
	लक्ष्य	वास्तविक
अयस्क (लाख टन)	39.3	35.70
मेटल-इन-कंसंट्रेट (टन)	32439	24741

वर्ष 2021-22 के दौरान निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि में दी गई भिन्नता के कारण कमोबेश वही हैं, जो वर्ष 2020-21 में थे।

7.8 वित्त वर्ष 2022-2023 (जनवरी, 2023 तक) के दौरान वास्तविक उपलब्धि की तुलना में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य निम्नवत हैं:–

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	
	लक्ष्य	वास्तविक
अयस्क (लाख टन)	42.4	26.4
मेटल-इन-कंसंट्रेट (टन)	30000	20312

7.9 मंत्रालय ने समिति को वर्ष 2022-23 (13.02.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धि में भिन्नता के कारणों के बारे में निम्नवत बताया है:

"ठेकेदारों के उपकरणों की कम उपलब्धता के कारण खेतड़ी खान के बनवास ब्लॉक में अयस्क उत्पादन प्रभावित हुआ था। उपकरण की उपलब्धता में सुधार के लिए मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट से एक एलएचडी मशीन को केसीसी में स्थानांतरित किया जा रहा है। भूमिगत क्रशर के 60 दिनों तक बंद होने (प्रतिस्थापन/मरम्मत और रखरखाव) के कारण कोलिहान खान से अयस्क का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

खुले खान में पर्याप्त मात्रा में अयस्क की अनुपलब्धता के कारण मलंजखंड कॉपर परियोजना में अयस्क उत्पादन प्रभावित हुआ है और भूमिगत खान से उत्पादन अपने प्रारंभिक चरण में है। ठेकेदार द्वारा उपकरण जुटाने में विलंब के कारण भूमिगत खान से उत्पादन में विलंब हुआ। डीजीएमएस से स्टोप से अयस्क उत्पादन को रोकने की अनुमति देने में भी काफी समय लग रहा है; और

खनन पट्टा (एमएल) करार का निष्पादन न होने के कारण सुरदा खान में अयस्क उत्पादन प्रभावित हुआ है क्योंकि झारखंड सरकार ने एमएल क्षेत्र (388.58 हेक्टेयर) और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) अनुदान क्षेत्र (323.16 हेक्टेयर) के बीच समानता होने को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि शेष 65.52 हेक्टेयर वन भूमि को अभी भी एनपीवी के माध्यम से परिवर्तित किया जाना है, तथापि उक्त वन भूमि का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि खनन पट्टे के भीतर शेष 65.52 हेक्टेयर वन क्षेत्र की चरण-एक वन मंजूरी के लिए आवेदन, जिसके लिए एनपीवी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, पीसीसीएफ (नोडल) झारखंड में प्रक्रियाधीन है।"

7.10 वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान एचसीएल द्वारा विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24
	लक्ष्य
अयस्क (लाख टन)	42.4
मेटल-इन-कंसंट्रेट (टन)	30000

7.11 यह पूछे जाने पर कि क्या वर्ष 2023-24 के लिए एचसीएल के लिए 350.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित लक्ष्यों और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के विवरण, अनुमानित लागत और उनके पूरा होने के लक्षित कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया है कि वर्ष 2023-24 के लिए एचसीएल के लिए 350 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

7.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा लक्षित और कार्यान्वित नई परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, एचसीएल ने झारखंड में बंद पड़ी केंडाडीह खान को फिर से खोलने और राजस्थान में खेतड़ी खनन पट्टे के बनवास ब्लॉक में नई भूमिगत खान का विकास पूरा कर लिया है। वर्ष 2022 में मलंजखंड भूमिगत खान से भी अयस्क उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

7.13 जहां तक वर्ष 2023-24 के दौरान एचसीएल द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं और नई परियोजनाओं का संबंध है, खान मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया है:-

कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाओं, अनुमानित लागत और उनकी लक्षित समय-सीमा का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

कार्यान्वयनाधीन परियोजना का विवरण	**अनुमानित लागत (दिए गए ठेका का मूल्य)**	**लक्षित समय-सीमा**
मलांजखंड ताम्र भूमिगत खान के उत्तरी खंड का खान विकास (अवशेष कार्य)	रु. 199.80	30.04.2026
मलांजखंड ताम्र भूमिगत खान के दक्षिण खंड का खान विकास (अवशेष कार्य)।	रु.197.13	31.12.2025
मलांजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में पेस्ट फिल प्लांट का निर्माण और कमीशनिंग	रु.199.50	04.07.2024

7.14 एचसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। लागत और कार्यान्वयन की योजना नीचे सारणीबद्ध हैं:

कार्यान्वयनाधीन परियोजना का विवरण	अनुमानित व्यय	कार्यान्वयन की योजना
6 मुख्य मैकेनिकल वेंटिलेटर (एमएमवी) का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग और साइट परीक्षण	रु 20.48 करोड़	16 माह
मलांजखंड ताम्र भूमिगत खान के लिए मीडियम वोल्टेज (एमवी) विद्युत वितरण प्रणाली पैकेज का निर्माण	रु 81.12 करोड़	48 माह
मलांजखंड ताम्र भूमिगत खान के लिए शाफ्ट फर्निशिंग और मेन/मैटेरियल होइस्टिंग सिस्टम	रु. 294.8 करोड़	43 माह
मलांजखंड ताम्र भूमिगत खान के लिए भूमिगत क्रशिंग और पम्पिंग प्रणाली।	रु. 92.7 करोड़	42 माह
इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आईसीसी), घाटसिला, झारखंड में एक नई मैचिंग कैपेसिटी कंसंट्रेटर प्लांट की कमीशनिंग के साथ राखा माइनिंग लीज से 3.00 एमटीपीए अयस्क उत्पादन के लिए माइन डेवलपर कम ऑपरेटर (एमडीओ) का चयन और उन्हें कार्य पर लगाना	निविदा 17 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गयी। निविदा खुलने की तिथि 15 मार्च, 2023 है।	

7.15 उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन की योजना शून्य तिथि यानी कार्य सौंपे जाने से 16 से 48 माह तक है। सभी परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

इसके अलावा, एचसीएल ने 3 मिलियन टन तांबा अयस्क के उत्पादन और आईसीसी में एक नए कंसंट्रेटर प्लांट को चालू करने के लिए राखा कॉपर माइनिंग लीज को फिर से खोलने

और विस्तार करने हेतु खान डेवलपर सह ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन के लिए मैसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त किया है। मैसर्स पीडब्ल्यूसी ने एमडीओ के चयन के लिए एनआईटी और खान सेवा करार का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। निविदा 17 जनवरी, 2023 को प्रकाशित हुई। निविदा खुलने की तिथि 15 मार्च, 2023 है।

अध्याय – आठ

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) अनुसूची - 'क' एक नवरत्न सीपीएसई है, जो 7 जनवरी, 1981 को स्थापित की गई थी, इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। यह देश में सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट - एल्युमिना - एल्युमीनियम पावर कॉम्प्लेक्स में से एक है। नालको को खनन और धातु क्षेत्र में स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड - 2021 का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास 51. 28% भुगतान की गई इक्विटी पूँजी धारिता है। यह कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अपने पिटहेड एल्युमिना रिफाइनरी के लिए कैप्टिव पंचपटमाली बॉक्साइट खान और अंगुल में एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र का प्रचालन करती रही है। हरित पहल के रूप में, नालको ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर 198 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र तथा अपने परिसर के छत पर 800 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। वर्ष 1987 में प्रथम व्यावसायिक प्रचालन से कंपनी पिछले 35 वर्षों से निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। वैश्विक कोविड - 19 महामारी के बावजूद, वित्त वर्ष 21-22 में कंपनी ने अब तक का सर्वोच्च बिक्री राजस्व 14,181 करोड़ रूपये तथा सर्वोच्च कर पश्चात लाभ 2,952 करोड़ रूपये अर्जित किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने एल्युमीनियम स्मेल्टर में सभी 960 पॉट के प्रचालन के साथ 4.6 लाख टन की पूर्ण क्षमता का उत्पादन हासिल किया, जो पहली बार 100% क्षमता उपयोग हासिल करने का मील का पत्थर है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 75.11 लाख टन का अब तक का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन भी किया है। कंपनी न तो भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त कर रही है और न ही उसका इसे प्राप्त करने का प्रस्ताव है। योजना परिव्यय को पूरी तरह से केवल आंतरिक संसाधनों के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है।

8.2 वर्ष 2020-21, 2021-22 के दौरान नालको की परियोजनाओं के संबंध में ब.अ., सं.अ., निधियों के वास्तविक उपयोग और 2022-23 के दौरान संभावित उपयोग को दर्शाने वाले

विवरण और बजट अनुमान से कैपेक्स में भिन्नता/कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष 2020-21:

क्र. सं.		2020-21		
	योजनाएं	ब.अ./परिणाम	सं.अ.	वास्तविक
1	**नई एवं चालू योजनाएं**			
क	कोयला खान - उत्कल-डी एवं ई	40	40	37.55
ख	5वीं स्ट्रीम रिफाइनरी और पोट्टांगी/नई बॉक्साइट खानें	202.10	202.10	439.01
ग	साउथ ब्लॉक से बॉक्साइट परिवहन प्रणाली	80.12	80.12	-
घ	हरित ऊर्जा परियोजनाएं (पवन ऊर्जा संयंत्र)	18.04	18.04	-
ङ	जेवी परियोजनाएं	40	76	36
च	अन्य विविध परियोजनाएँ (रोल्ड उत्पाद, फ़ॉइल संयंत्र आदि)	2.50	2.79	1.34
2.	**परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर)**			
क	एएमआर	629.45	608.87	510.95
	कुल	**1,012.21**	**1027.92**	**1024.85**

8.3 यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कैपेक्स में कोई कमी नहीं थी। कंपनी ने 1012 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वर्ष के लिए 1,024.85 करोड़ रुपये (जेवी सहित) का कैपेक्स हासिल किया।

वित्त वर्ष 2021-22:

क्र.सं.		2021-22		
	योजनाएं	ब.अ./परिणाम	सं.अ.	वास्तविक
1.	नई एवं चालू योजनाएं			
क	कोयला खान - उत्कल-डी एवं ई	16.00	40.50	124.78
ख	5वीं स्ट्रीम रिफाइनरी और पोट्टांगी/नई बॉक्साइट खानें	842.55	835.04	747.42
ग	साउथ ब्लॉक से बॉक्साइट परिवहन प्रणाली	8.37	35.90	20.57
घ	हरित ऊर्जा परियोजनाएं (पवन ऊर्जा संयंत्र)	9.81	1.0	-
ङ	जेवी परियोजनाएं	-	-	-
च	अन्य विविध परियोजनाएँ (रोल्ड उत्पाद, फ़ॉइल प्लांट आदि)	2.50	0.15	-
2.	परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर)			
क	एएमआर	620.76	587.40	595.39
	कुल	**1499.99**	**1499.99**	**1488.16**

कंपनी ने वर्ष 2021-22 में अपने लक्षित कैपेक्स का 99.2% हासिल किया।

वित्त वर्ष 2022-23:

क्र.सं.		2022-23		
	योजनाएं	ब.अ./परिणाम	सं.अ.	वास्तविक
1.	नई एवं चालू योजनाएं			
क	कोयला खान - उत्कल-डी एवं ई	25.00	26.58	123.49
ख	5वीं स्ट्रीम रिफाइनरी और पोट्टांगी/नई बॉक्साइट खानें	1056.03	1057.0	690.68
ग	साउथ ब्लॉक से बॉक्साइट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम	50.00	86.33	88.35
घ	हरित ऊर्जा परियोजनाएं (पवन ऊर्जा संयंत्र)	1.00	0.0	0.0
ङ	जेवी परियोजनाएं	1.00	28.2	12.0
च	अन्य विविध परियोजनाएँ (रोल्ड उत्पाद, फ़ॉइल प्लांट आदि)	0.15	-	-
2.	परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर)			
क	एएमआर	666.82	630.09	377.45
	कुल	**1800.00**	**1828.20**	**1291.97**

8.4 मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया कि कंपनी ने वर्ष में 1800 करोड़ रुपये के बजट अनुमान लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2023 तक 1,291.97 करोड़ रुपये (जेवी सहित) का कैपेक्स हासिल किया। । कंपनी को आशा है कि मार्च 2023 तक लक्षित कैपेक्स प्राप्त कर लिया जाएगा।

8.5 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नालको का पूंजीगत परिव्यय निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	परिव्यय 2023-24 (करोड़ रुपये)
1	**नई परियोजनाएं**	
क	उत्कल "डी" और "ई" कोयला ब्लॉक	60.00
ख	5वीं स्ट्रीम एल्युमिना रिफाइनरी परियोजना	1056.95
ग	साउथ ब्लॉक से बॉक्साइट ढुलाई प्रणाली (बॉक्साइट की वैकल्पिक सोर्सिंग)	50.00
घ	25 मेगावाट पवन ऊर्जा	1.00
ङ	जेवी परियोजनाएं (काबिल)	27.00
2	परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन	632.05
	कुल	**1827.00**

8.6 मंत्रालय ने आगे बताया कि नालको ने 2023-24 के दौरान 1827.00 करोड़ रुपये रखे हैं। कंपनी को आशा है कि उपरोक्त कैपेक्स राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

8.7 वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान नालको के संबंध में उपलब्धि की तुलना में वास्तविक लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

वित्त वर्ष 2020-21

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2020-21	
		ब.अ. लक्ष्य (परिणामी बजट)	वास्तविक
क)	बॉक्साइट (लाख टन)	73.00	73.65
ख)	एल्यूमिना हाइड्रेट (लाख टन)	21.60	20.86
ग)	धातु (लाख टन)	4.40	4.19

वित्त वर्ष 2021-22

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2021-22	
		ब.अ. लक्ष्य(परिणामी बजट)	वास्तविक
क)	बॉक्साइट (लाख टन)	74.00	75.11
ख)	एल्यूमिना हाइड्रेट (लाख टन)	21.20	21.22
ग)	धातु (लाख टन)	4.60	4.60

वित्त वर्ष 2022-23

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2022-23	
		ब.अ.	वास्तविक

		लक्ष्य(परिणामी बजट)	
क)	बॉक्साइट (लाख टन)	74.50	61.38
ख)	एल्यूमिना हाइड्रेट (लाख टन)	21.61	17.31
ग)	धातु (लाख टन)	4.60	3.83

8.8 मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यथा संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

8.9 वर्ष 2023-24 के दौरान नालको के संबंध में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन वास्तविक लक्ष्य	
एल्यूमिना हाइड्रेट	21.61 लाख मीट्रिक टन
कास्ट मेटल	4.6 लाख मीट्रिक टन

8.10 समिति को सूचित किया गया कि नालको उत्कल-डी और ई कोयला खान परियोजना और पोट्टांगी बॉक्साइट खानों से संबंधित मुद्दों में सहायता और हस्तक्षेप के लिए मंत्रालय से अनुरोध करेगा जो कि निम्नानुसार है:-

क. उत्कल-डी एंड ई कोयला खान परियोजना:

(एक) उत्कल-ई की शेष 13 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी: वन मंजूरी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतीक्षित है।

(दो) उत्कल-डी और ई कोयला खदान के परियोजना विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन में तेजी लाई जाएगी और इसे फास्ट ट्रैक आधार पर बनाया जाएगा।

(तीन) उत्कल-ई (सरकारी भूमि) के लिए भूमि अधिग्रहण: ओडिशा सरकार से सहायता मांगी गयी है। 13.56 हेक्टेयर भूमि के अनुमेय कब्जे को जारी करने में तेजी लाई जा सकती है।

(चार) रेलवे साइडिंग के लिए 41.71 एकड़ निजी भूमि का वास्तविक कब्जा और अंगुल जिले में अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण: ओडिशा सरकार से अनुरोध है कि नालको को 41.71 एकड़ जमीन सौंपने और आईडीसीओ के माध्यम से अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने में तेजी लाए।

(पाँच) कोयले की ढुलाई के लिए सड़क गलियारा:ओडिशा सरकार से अनुरोध है कि कोयले की ढुलाई के लिए कोयला ब्लॉकों को जोड़ने वाले सड़क गलियारे के विकास में तेजी लाई जाए।

(छह) उत्कल-ई के खनन पट्टा विलेख का निष्पादन: चूँकि आज की तारीख तक नालको को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 13 हेक्टेयर वन भूमि की वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ओडिशा सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त शेष वन मंजूरी के लंबित खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की अनुमति दी जाए। वन मंजूरी मिलने के बाद नालको इसे प्रस्तुत करेगा।

(सात) एमसीआरएल (महानदी कोल रेल लिमिटेड) का निर्माण: उत्कल डी एंड ई कोल ब्लॉक से नालको कैप्टिव पावर प्लांट के लिए कोयले की निकासी एमसीआरएल के माध्यम से की जाएगी । कोयला मंत्रालय से परियोजना के निष्पादन में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

ख) पोट्टांगी बॉक्साइट खान:

(एक) पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के पट्टे जारी करना: नालको द्वारा ओडिशा सरकार से अनुरोध है कि विस्तारित आरक्षण अवधि की समाप्ति से पहले खनन पट्टा अनुदान आदेश जारी करने की अनुमति दी जाए।

8.11 नालको द्वारा मांगी गई सहायता के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"खान मंत्रालय नालको से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/विभागों और अन्य मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, डीपीआईआईटी और व्यय विभाग के साथ मामला उठा रहा है।"

अध्याय नौ

खनन में निजी क्षेत्र की भूमिका

आर्थिक सर्वेक्षण देश के विकास में सह-भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर जोर देता है और बताता है कि निजी क्षेत्र के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को खोलने से अर्थव्यवस्था में व्यापार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

9.2 खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र तथा संभावनाओं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"देश गौण खनिजों सहित ईंधन, धात्विक और अधात्विक खनिजों के विशाल खनिज संसाधनों से संपन्न है। खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खंड है। स्वतंत्रता के बाद से, मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में खनिज उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अनुसार, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को खनिज रियायत तब तक नहीं देगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक न हो अथवा वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) में परिभाषित न हो और उन शर्तों को पूरा करती हो जो निर्धारित किया जाए। इस प्रकार, खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए अवसर और संभावना व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में परिकल्पना की गई है कि निजी क्षेत्र को गवेषण गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, एनएमपी 2019 और सरकार द्वारा किए गए हालिया सुधार खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करते हैं।

खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में पर्याप्त प्रावधान हैं।"

9.3 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में आगे बताया कि संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आईबीएम द्वारा अनुरक्षित खानों की सूची (01.04.2022 तक) के अनुसार, देश में 3095 खनन पट्टे (परमाणु, लघु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) हैं।

9.4 दिनांक 1.04.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 3095 खानें हैं जिसमें सीपीएसयू के पास 94 खानें, राज्य पीएसयू के पास 144 खानें, निजी क्षेत्र के पास 2857 खानें हैं।

9.5 मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि निजी क्षेत्र खनिज उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है और वर्ष 2021-22 (अ) में उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 58.54% या 77713 करोड़ रूपए आंका गया है। 2021-22 (अ) वर्ष के दौरान, गार्नेट, आयोलाइट, लेड और जिंक अयस्क, लेड कॉन्सेंट्रेट, लाइमशेल, मार्ल, मोल्डिंग सैंड, सिलिसस अर्थ, सिलिमेनाइट, वोलास्टोनाइट और जिंक कंसन्ट्रेट का संपूर्ण उत्पादन निजी क्षेत्र से था। इसके अलावा, बॉक्साइट 51%, क्रोमाइट 69%, लौह अयस्क 61%, कायनाइट 54%, चूना पत्थर 97%, मैंगनीज अयस्क 54%, वर्मीक्यूलाइट 77%, ग्रेफाइट 37%, और मैग्नेसाइट 46% मूल्य का योगदान निजी क्षेत्र से था।

भाग - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

बजटीय प्रावधान और उपयोग

योजना परिव्यय

1. समिति नोट करती है कि जीएसआई, आईबीएम, एस एंड टी कार्यक्रम, सचिवालय (प्रॉपर), स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान आदि द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए खान मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय ने 1911.60 करोड़ रुपये का बजट अनुमान आवंटित किया है। बजट अनुमानों के पिछले वर्षों के उपयोग के विश्लेषण से समिति ने पाती है कि 2021-22 के दौरान बजट अनुमान 1466.82 करोड़ रुपये से बढ़ाकर संशोधित अनुमान स्तर पर 1480 करोड़ रुपये कर दिया गया था और 2022-23 के दौरान 1508 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के सापेक्ष संशोधित अनुमान 1689.95 करोड़ रुपये था।

बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, जो बजट प्रक्रिया का हिस्सा हैं, समिति 2020-21 और 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों के 98.15% और 99.19% के उपयोग की सराहना करते हुए खान मंत्रालय को चालू वर्ष यानी 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमानों का उचित और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है। यह देखते हुए कि खान मंत्रालय, आरई स्तर पर आवंटित धन का लगभग पूरी तरह से उपयोग कर रहा है, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि आवंटन के लिए बजटीय कार्य को विवेकपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक धन का आंकलन वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए।

आत्म निर्भर और सतत खनन कार्य

2. समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि देश निरंतर खनिज उत्पादन में पूरी तरह से या काफी हद तक आत्मनिर्भर बना हुआ है। देश में खनिज उत्पादन में प्राथमिक खनिज कच्चा माल होता है, जिसकी आपूर्ति कई उद्योगों, जैसे लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रिफ्रेक्ट्रीज, सिरेमिक, कांच, रसायन आदि को की जाती है। तथापि, देश में मैग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क, रॉक फास्फेट (फॉस्फोराइट) आदि की कमी है जिनका आयात घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। समिति ने यह भी पाया है कि खनिजों में आत्मनिर्भरता, संसाधन बंदोबस्ती, अन्वेषण, उत्पादन और उपयोगकर्ता क्षेत्र (क्षेत्रों) से मांग जैसे कारकों पर निर्भर है।

समिति आगे नोट करती है कि सरकार ने अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्यों को कई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी हैं। सरकार ने भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार भी किए हैं, जैसे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन। इन सुधारों के साथ, सरकार ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी और इस क्षेत्र के लिए अनुकूल निवेश वातावरण बनाने पर भी काम शुरू किया है।

समिति ने 2015 से नीलामी की गति में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ एमएमडीआर अधिनियम में संशोधनों का सकारात्मक प्रभाव भी देखा है। प्रति वर्ष नीलामी में चार गुना वृद्धि हुई है और 6 वर्षों (यानी 2015 से 2021 तक) में नीलाम किए गए 108 ब्लॉकों के मुकाबले, 2021-22 और 2022-23 (अब तक) के बीच 131 नीलामी आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि खान मंत्रालय ने 2023-24 तक नीलामी के लिए 500 ब्लॉकों के लक्ष्य के साथ एक कार्य योजना तैयार की है। आत्मनिर्भरता और सतत प्रथाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इन

महत्वपूर्ण कदमों की सराहना करते हुए, समिति को आशा है कि मंत्रालय, खनन क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को इष्टतम बनाने के लिए जब भी आवश्यक होगा, सुधारों को लागू करना जारी रखेगा।

3. एक समावेशी खनिज नीति बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में, समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 के अनुसार, खनिज संसाधनों के निष्कर्षण पर जोर दिया जाएगा जिसमें देश अच्छी तरह से संपन्न है ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस संबंध में, समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि जीएसआई ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में पहली बार 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन (जी3) स्थापित किए हैं। समिति यह उम्मीद करती है कि जीएसआई देश को खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करता रहेगा।

4. समिति इस बात से भी सहमत है कि धातु अयस्क और खनिज गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर और सभी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती मांग है, इसलिए इन धातुओं का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करना अनिवार्य हो जाता है। इस संबंध में, समिति यह पाती है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में परिकल्पना की गई है कि यद्यपि मांग को पूरा करने के लिए प्राथमिक खनिज प्रमुख स्रोत रहेंगे, तथापि पुनर्चक्रण के माध्यम से धातु की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करके आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। धातुओं की पुन: प्रयोज्य प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान करती है और इसमें ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और आर्थिक लाभ के रूप में अन्य लाभ शामिल हैं।

समिति इस बात की भी सराहना करती है कि खान मंत्रालय ने जनवरी, 2021 में नेशनल नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क 2020 प्रकाशित किया है, ताकि

पुनर्चक्रण के लिए ऊर्जा की कम खपत वाली प्रक्रियाओं को अपनाकर एक औपचारिक और सुव्यवस्थित पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और सतत विकास और इंटर-जेनरेशनल इक्विटी की दिशा में काम हो सके ।

समिति, खनन क्षेत्र में लिए जा रहे आर्थिक और पर्यावरण के प्रति सचेत विकल्पों से प्रसन्न है और सरकार ने एक नियमित धातु पुणर्चक्रण प्रधिकरण अधिसूचित किए जाने तक जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एंव अभिकल्प केंद्र, नागपुर (जेएनएआरडीडीसी) को दिनांक 05.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा नेशनल नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क 2020 में यथानिर्धारित धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए नामांकित और प्राधिकृत किया है। समिति सिफारिश करती है कि देश में आत्मनिर्भर खनन गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों द्वारा रीसाइकलिंग, रीयुजिगं और रीपर्पसिंग (आर-3) प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए सरकार को और अधिक कदम उठाने चाहिए और समिति को इससे अवगत कराया जाए।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल)

5. समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि देश की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है जिसमें नालको, एचसीएल और एमईसीएल भागीदारी कर रहे हैं। खान मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया सरकार के उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और संसाधन विभाग (डीआईएसईआर) ने खनन के क्षेत्र में सहयोग तथा महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के प्रसंस्करण के लिए 3 जून, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समिति यह भी पाती है कि देश के वर्तमान आर्थिक विकास के साथ, भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए और अधिक उन्नत कम जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सुनिश्चित आपूर्ति अत्यावश्यक है। वर्तमान में, केएबीआईएल विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान करने और देश के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे बैटरी खनिजों को मंगाने पर ध्यान दे रही है। केएबीआईएल चुनिंदा स्रोत देशों जैसे अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और ऑस्ट्रेलिया आदि के साथ कार्य कर रहा है, जो उद्धृत महत्वपूर्ण, सामरिक खनिजों से संपन्न हैं।

इन खनिजों की आपूर्ति के आश्वासन के माध्यम से देश की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की आयात निर्भरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के सरकार के उद्देश्य की सराहना करते हुए, समिति आशा करती है कि खान मंत्रालय और देश में खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित केएबीआईएल जैसे संयुक्त उद्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। समिति को अब तक की उपलब्धियों और खनन क्षेत्र में व्यापार निर्भरता को कम करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए केएबीआईएल की संदर्शी योजना से अवगत कराया जाए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

6. समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, जीएसआई को बीई स्तर पर ₹1308.60 करोड़ (राजस्व- ₹1236.50 करोड़ और पूंजी- ₹72.10 करोड़) आवंटित किए गए हैं। 1308.60 करोड़ रुपये का बजटीय अनुदान में से, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गतिविधियों के लिए 65.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्थापना व्यय के लिए आवंटित परिव्यय ₹ 836.50 करोड़ और प्रशासनिक सहायता गतिविधियों और अन्य व्यय के लिए ₹105.30 करोड़ है। जीएसआई मिशन गतिविधियों के लिए परिव्यय ₹294.70 करोड़ है और जीएसआई के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन गतिविधियों के लिए पूंजी परिव्यय ₹ 72.10 करोड़ है।

पिछले वर्ष के दौरान जीएसआई के वित्तीय निष्पादन से, समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 99.45% की दर से (अर्थात आरई स्तर पर आवंटित ₹1115.01 करोड़ में से ₹1108.84 करोड़); वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 98.97% (अर्थात संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित ₹1174.78 करोड़ में से ₹1162.68 करोड़); और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 89.28% (अर्थात संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित ₹ 1251.91 करोड़ में से ₹1117.75 करोड़), निधि का उपयोग किया गया है।

समिति यह भी पाती है कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान यथालक्षित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परिचालन इकाइयों द्वारा सभी गतिविधियों के निष्पादन, आवधिक निगरानी, लंबित बकाया राशि क्लियर करने को प्राथमिकता देने आदि के लिए प्रस्तुत की गई निधि की मांग की गंभीर रूप से समीक्षा करने जैसे कई कदम उठा रहा है। समिति इस तथ्य से अवगत है कि जीएसआई खान मंत्रालय का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है और राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक जानकारी का सृजन और इसे अद्यतन करने तथा खनिज संसाधनों के मूल्यांकन और इसके परिणामस्वरूप

देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समिति को आशा और यह विश्वास है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसआई को आवंटित निधि का शेष 10.72% भाग 31 मार्च, 2023 तक इष्टतम उपयोग किया जाएगा। कुछ खनिज अन्वेषण परियोजनाओं में वन मंजूरी प्राप्त करने में जीएसआई के सामने आ रही समस्या के संबंध में, समिति खान मंत्रालय/जीएसआई को सिफारिश करती है कि वे इन मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और समिति को इससे अवगत कराएं।

जीएसआई का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

7. समिति नोट करती है कि जीएसआई को एक विश्व स्तरीय भू-वैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए, फील्ड और प्रयोगशालाओं में क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम की पहल बहुत पहले शुरू की गई थी। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि महत्वपूर्ण भू-विज्ञान आंकड़े तैयार करने और उसकी प्रोसेसिंग, प्रतिपादन के साथ-साथ जीएसआई की परिचालन गतिविधियों में सहयोग करने की क्षमताओं में सुधार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उच्च स्तर की मशीनरी और उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

कार्यालय में पेपरलेस कार्य व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, जीएसआई ने ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम (ओडीबीआईएस) पोर्टल लागू किया है और ई-गवर्नेंस के तहत आधिकारिक फाइल को आगे भेजने के लिए ई-ऑफिस की शुरुआत की है। समिति यह भी नोट करती है कि जीएसआई ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म में हितधारकों के उपयोग हेतु सिंगल प्लेटफॉर्म पर सभी भू-विज्ञान आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए नेशनल जियो-साइन्स डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) की स्थापना के लिए पहल की है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों स्तरों पर आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए आबंटन 57.50 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के दौरान, जीएसआई द्वारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों की पूर्ण उपयोगिता पर जोर देते हुए, समिति को वर्ष 2023-2024 के दौरान आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 72.10 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के पूर्ण उपयोग के लिए जीएसआई की कार्य योजना से भी अवगत कराया जाए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जीएसआई गतिविधियां

8. समिति नोट करती है कि जीएसआई उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में सभी मिशन (1-वी) गतिविधियों को पूरा करता है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिशानिर्देश के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलापों के निष्पादन के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सकल बजटीय सहायता का 10% आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, बजट अनुमान/संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 की तुलना में दिनांक 16.12.2022 को आईएफडी पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (एससीएसपी) के लिए 2.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि के साथ 135 करोड़ रुपये और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) के लिए 0.70 करोड़ रुपये जीएसआई को दिए गए हैं। जहां तक पिछले 3 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीएसआई के वास्तविक कार्य निष्पादन का संबंध है, समिति का मानना है कि मिशन-I (बेसलाइन जियोसाइंस डाटा जनरेशन) के अंतर्गत विशिष्ट विषयगत मानचित्रण, भू-रासायनिक मानचित्रण और भूभौतिकीय मानचित्रण जैसी गतिविधियां प्रस्तावित लक्ष्यों से अधिक हुई हैं। उपलब्धियों की सराहना करते हुए समिति आशा करती है कि जीएसआई आने वाले वर्षों में इस कार्यनिष्पादन के स्तर को बनाए रखेगा।

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

9. समिति नोट करती है कि आईबीएम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आणविक खनिजों और गौण खनिजों के अलावा देश के खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास, खनिजों के संरक्षण, खानों में पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने में कार्यरत है। यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988/2017 और खनिज रियायत नियम, 1960/2016 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इनके तहत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन के संबंध में विनियामक कार्य करता है। आईबीएम को बजट अनुमान स्तर पर 122.48 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय/आईबीएम 2023-24 के दौरान 122.48 करोड़ रुपये की आवंटित निधियों का पूरा उपयोग करेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईबीएम

10. समिति नोट करती है कि आईबीएम का केवल एक क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, असम में स्थित है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें राजस्व शीर्ष के तहत 1.43 करोड़ रुपये और पूंजीगत शीर्ष के तहत 0.19 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। एनईआर बजट का राजस्व हिस्सा गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपयोग किया जाता है, और जनवरी, 2023 तक का व्यय ₹1.22 करोड़ है। यह बताया गया है कि आईबीएम निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए जीएसआई को अन्य पूंजीगत व्यय (एनईआर) के तहत आवंटित निधियों के हस्तांतरण के लिए इस मामले को नियमित रूप से मंत्रालय के साथ उठाता रहा है। समिति आशा करती है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा तथा मंत्रालय, आईबीएम और जीएसआई निधियों को स्थानांतरित करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार करेंगे और क्षेत्र में इसका उपयोग करने का सर्वोत्तम तरीका ढूंढेंगे।

आईबीएम में निगरानी तंत्र

11. समिति पाती है कि "निगरानी तंत्र" के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों की इष्टतम प्राप्ति के लिए आईबीएम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आईबीएम के कार्यों के चार्टर और वर्ष के दौरान योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार माह-वार और तिमाही-वार कार्यकलापों की एक वार्षिक योजना तैयार करना सम्मिलित है। समिति संतुष्टि के साथ नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप आईबीएम वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण और खान पर्यावरण के लिए खानों का निरीक्षण; खनिज लाभकारी अध्ययन - निम्न ग्रेड और उप-ग्रेड अयस्कों का उपयोग और पर्यावरणीय नमूनों का विश्लेषण; तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण तथा वर्ष 2023-24 के दौरान खनन टेनमेंट सिस्टम (एमटीएस) का कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर तैयार करने जैसी अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय आने वाले वर्षों में उक्त योजनाओं के माध्यम से आईबीएम के कार्यनिष्पादन को बेहतर करने का लगातार प्रयास करेगा और उन्हें ऐसे प्रयासों के परिणामों से अवगत कराएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

12. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए ₹ 30.19 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसे संशोधित अनुमान चरण में बढ़ाकर ₹32.45 करोड़ कर दिया गया था। इस बढ़े हुए परिव्यय में से, 13.02.2023 तक ₹27.83 करोड़ का उपयोग किया गया, जो आवंटित निधियों का 85.76% था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संभावित व्यय ₹ 30.77 करोड़ बताया गया है। इसके अलावा, ₹23.47 करोड़ की प्रस्तावित निधियों की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 (एनएमए और आईसी शामिल) में ₹28.82 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। खान मंत्रालय के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए निधि की आवश्यकता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायत्त संस्थानों (जेएनएआरडीडीसी और एनआईआरएम) की वेतन और पूंजीगत अनुदान की मांग और वर्ष में अनुदान के लिए अनुमोदित गुणवत्ता परियोजना प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके अलावा, अनुदानग्राही स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण के निर्णय के कारण वेतन अनुदानों के लिए कम निधि आवंटित की जा रही है।

समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि पिछले 3 वर्षों से, सत्यभामा पोर्टल (खनन उन्नयन में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना) के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं, और खनन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं की संख्या और गुणवत्ता धीरे-धीरे बढ़ रही है। समिति इस बात की सराहना करती है कि देश में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों में आवंटन में वृद्धि से अंततः देश और इसके लोगों के लाभ के लिए खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संरक्षण होगा।

समिति आशा करती है कि परियोजना प्रस्तावों की शॉर्टलिस्टिंग, संबंधित संस्थाओं द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों को परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा समिति

(पीईआरसी) के समक्ष प्रस्तुत करने और सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह (एसएसएजी) की अंतिम स्वीकृति सहित मूल्यांकन के विभिन्न चरणों को शामिल करने वाली प्रक्रिया पर आधारित गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं के चयन के साथ आगामी वर्षों में एसएंडटी और आरएंडडी कार्यकलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। समिति चाहती है कि उसे वर्ष 2022-23 के दौरान खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत चुनी गई और अनुमोदित नई परियोजनाओं से अवगत कराया जाए।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी)

13. समिति पाती है कि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएमईटी ने क्रमशः 90 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान प्राप्त किया। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 83.11 करोड़ रुपये (यानी, 92.34%) और ₹ 124.71 करोड़ रुपये (यानी, 99.77%) की राशि का उपयोग किया गया था। खान मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022-2023 के लिए (मार्च, 2023 तक) कुल अनुमानित व्यय 160 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, एनएमईटी को 400.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। खान मंत्रालय के अनुसार एनएमईटी द्वारा वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि/उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अग्रिम उपाय किए जा रहे हैं जैसे कि अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों (एनईए) की ओर से अवधि-वार और चरण-वार अनुमान मांगे जा रहे हैं; चालू परियोजनाओं की आवधिक प्रगति रिपोर्ट और तकनीकी समीक्षा हासिल की जा रही है; खनिज अन्वेषण संबंधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का दिया जाना। मंत्रालय और एनएमईटी द्वारा किए जा रहे इन उन्नत और प्रभावी उपायों को नोट करते हुए, समिति आशा करती है वर्ष 2023-24 के लिए 400 करोड़ रुपये के योजना व्यय का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा जैसे कि परिकल्पना की गई है।

14. समिति यह भी पाती है कि एनएमईटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में अन्वेषण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को भी निधि उपलब्ध कराई जाएगी। समिति पाती है कि खान मंत्रालय ने एनईए के रूप में 12 निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया है, जिन्होंने 91 खनिज अन्वेषण परियोजना संबंधी प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है। जहाँ तक अन्वेषण परियोजनाओं के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का संबंध है, समिति पाती कि राज्य सरकारें मूल्यांकन के लिए एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति को अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) की अन्वेषण परियोजनाओं को प्रस्तुत करेंगी।

सरकार की ऐसी पहलों की सराहना करते हुए जैसे कि दोनों सरकारी और निजी एनईए को अन्वेषण कार्यकलापों की अनुमति देना तथा सामान्य रूप से देश के आर्थिक विकास में और विशेष रूप से भारत के खनन क्षेत्र में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, समिति को वर्ष 2022-23 के दौरान एनईए (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) द्वारा उक्त मामले में की गई प्रगति और वर्ष 2023-24 की कार्य योजना से अवगत कराया जाए।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

15. समिति नोट करती है कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 247.50 करोड़ रुपये (जनवरी, 2023 तक) के व्यय लक्ष्यों को हासिल किया है। खान मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2023 तक निधि के उपयोग का संभावित आंकड़ा 351.45 करोड़ रुपये का होगा। खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के दौरान, समिति को आश्वस्त किया गया कि एचसीएल वर्ष 2022-23 के दौरान केंदाडीह खानों से और निर्माणाधीन मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (एमसीपी) भूमिगत खदानों से उत्पादन हासिल करेगी। समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि एचसीएल ने झारखंड में बंद केंदाडीह खान को फिर से खोलने और राजस्थान में खेतड़ी खनन पट्टा के बनवास ब्लॉक में नई भूमिगत खान के विकास किया है। मलंजखंड भूमिगत खान से अयस्क का उत्पादन भी वर्ष 2022 में शुरू हो गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 351.45 करोड़ रुपये के संभावित उपयोग को ध्यान में रखते हुए, समिति आशा करती है कि एचसीएल उक्त वर्ष के दौरान अयस्क और मेटल-इन-कॉन्सेंट्रेट उत्पादन के वास्तविक लक्ष्य को हासिल कर लेगी।

16. समिति पाती है कि वर्ष 2023-24 के लिए एचसीएल ने 42.4 लाख टन अयस्क और 30,000 टन धातु सांद्रण (मेटल-इन-कंसंट्रेट) का लक्ष्य निर्धारित किया है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि कंपनी ने दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भर बनने के लिए एमसीपी, केसीसी और आईसीसी इकाइयों, ग्रीनफील्ड अन्वेषण/नई खानों के विकास और विभिन्न विस्तार परियोजनाओं से अधिकतम खान उत्पादन प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 350 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है। समिति पाती है कि 2023-24 के दौरान, कंपनी मलांजखंड कॉपर भूमिगत खदान के उत्तरी खंड के खान विकास (अवशिष्ट कार्य), मलांजखंड कॉपर भूमिगत खदान के दक्षिण खंड के खान विकास (अवशिष्ट कार्य), मलांजखंड कॉपर

परियोजना में पेस्ट फिल प्लांट के निर्माण और कमीशनिंग की चालू परियोजनाओं को क्रमशः 199.80 करोड़ रुपये, 197.13 करोड़ रुपये और 199.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्यान्वित कर रही है।

समिति को बताया गया है कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं में छह मुख्य यांत्रिक वेंटिलेटर (एमएमवी) का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग और साइट परीक्षण, मलांजखंड कॉपर भूमिगत खदान के लिए मध्यम वोल्टेज (एमवी) बिजली वितरण प्रणाली पैकेज का निर्माण, मलांजखंड कॉपर भूमिगत खदान के लिए शाफ्ट फर्निशिंग और मेन/मैटेरियल होस्टींग सिस्टम और मलांजखंड कॉपर भूमिगत खदान के लिए अंडरग्राउंड क्रशिंग एंड पंपिंग सिस्टम शामिल हैं।

समिति को बताया गया है कि एचसीएल ने बाजार से लिए गए क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) फंड, दीर्घकालिक/अल्पकालिक उधारी और आंतरिक संसाधनों से पूरे व्यय को पूरा करने की योजना बनाई है और इसके लिए कोई बजटीय सहायता नहीं मांगी गयी है। यह देखते हुए कि एचसीएल भारत में तांबे के अयस्क के खनन में लगी एकमात्र कंपनी है और तांबा अयस्क के सभी प्रचालन खनन पट्टे की मालिक है और परिष्कृत तांबा (वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी) की एकमात्र एकीकृत उत्पादक भी है, समिति खान मंत्रालय/एचसीएल को वित्तीय परिव्यय का इष्टतम उपयोग और वार्षिक योजना लक्ष्य हासिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करती है ताकि सभी चालू और नई योजनाएं लक्ष्य के अनुसार पूरी हो सकें।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको

17. समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि नालको को खनन और धातु क्षेत्र में सततता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड-2021 का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया है। समिति आगे पाती है कि नालको न तो किसी बजटीय सहायता का लाभ उठा रही है और न ही उसका ऐसा कोई प्रस्ताव है और उनके योजना परिव्यय का प्रबंधन पूरी तरह से आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है और वित्तीय आवश्यकताओं को बाजार से जुटाए गए क्वालिफाइड इंस्टीटयूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) फंड, उधारी से और आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। समिति नोट करती है कि 2022-23 के दौरान 800 करोड़ रुपये के बजट अनुमान लक्ष्य के मुकाबले कंपनी द्वारा (जनवरी, 2023 तक) 1,291.97 करोड़ रुपये (संयुक्त उद्यम सहित) का पूंजीगत व्यय हासिल किया गया था। समिति इस बात की सराहना करती है कि नालको द्वारा पिछले वर्षों में भी इसी तरह का प्रदर्शन दिखाया गया था, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं थी और कंपनी ने इस वर्ष के दौरान 1027.92 करोड़ रुपये के लक्षित संशोधित अनुमान के मुकाबले 1,024.85 करोड़ रुपये (संयुक्त उद्यम सहित) का पूंजीगत व्यय हासिल किया था।

जहां तक वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक लक्ष्यों का संबंध है, खान मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि बॉक्साइट, एल्युमिना हाइड्रेट और धातु के उत्पादन के लिए अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी ध्यान दिया जाता है कि 2021-22 के दौरान, नालको ने अपने एल्यूमीनियम स्मेल्टर प्लांट में अपने सभी 960 पॉट्स के साथ 4.6 लाख टन की पूर्ण क्षमता उत्पादन हासिल किया, जो पहली बार 100% क्षमता उपयोग का बड़ा लक्ष्य है। नालको के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि कंपनी आने वाले वर्षों में अपने कार्य निष्पादन को बनाए रखे।

18. समिति यह भी पाती है कि नालको ने अपनी दो परियोजनाओं नामत: उत्कल-डी एंड ई कोयला खान परियोजना और पोट्टांगी बॉक्साइट खानों से संबंधित कतिपय मुद्दों के संबंध में खान मंत्रालय से सहायता और हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। उत्कल-डी और ई कोयला खान परियोजना के संबंध में, जिन मुद्दों का समाधान किया जाना है, वे उत्कल-ई की वन भूमि की वानिकी मंजूरी, उत्कल-ई के लिए भूमि अधिग्रहण, रेलवे साइडिंग के लिए 41.71 एकड़ निजी भूमि का वास्तविक कब्जा, कोयला ब्लॉकों को जोड़ने वाले सड़क गलियारे का विकास, महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल) का निर्माण आदि हैं। पोट्टांगी बॉक्साइट खानों और पट्टा जारी करने के संबंध में, समिति पाती है कि खनन पट्टे के निष्पादन के लिए ग्रांट आदेश, इस्पात और खान विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा 02.02.2023 को जारी किया गया था।

समिति यह नोट करती है कि खान मंत्रालय, नालको से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/विभागों और अन्य मंत्रालयों जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, डीपीआईआईटी और व्यय विभाग के साथ इस मामले पर विचार कर रहा है। समिति चाहती है कि उसे मंत्रालय के प्रयासों के परिणामों से अवगत कराया जाए और यह इच्छा व्यक्त करती है कि सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए और उसे इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

खनन में निजी क्षेत्र की भूमिका

19. समिति को बताया गया है कि खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की गुंजाइश और संभावनाएं मौजूदा कानून में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी), 2019 में परिकल्पना की गई है कि निजी क्षेत्र को अन्वेषण गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एनएमपी 2019 के अलावा, सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार भी खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। समिति पाती है कि निजी क्षेत्र खनिज उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इसका 2021-22 (अनंतिम) में कुल उत्पादन में लगभग 58.54% या ₹77713 करोड़ का योगदान है। इस संबंध में, समिति को वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की खनन/अन्वेषण गतिविधियों से अवगत कराया जाए।

1.04.2022 तक सीपीएसयू की 94 खदानें, राज्य पीएसयू की 144 खदानें, निजी क्षेत्र की 2857 खदानें हैं, जबकि कुल 3095 खदानें हैं। वर्ष 2021-22 (पी) के दौरान, गार्नेट, आयोलाइट, लीड एंड जिंक अयस्क, लीड कंसंट्रेट, लाइमशेल, मार्ल, मोल्डिंग सैंड, सिलिसियस अर्थ, सिलिमेनाइट, वोलास्टोनाइट और जिंक कंसंट्रेट का पूरा उत्पादन निजी क्षेत्र से था। इसके अलावा बॉक्साइट का 51%, क्रोमाइट का 69%, लौह अयस्क का 61%, क्यानाइट का 54%, चूना पत्थर का 97%, मैंगनीज अयस्क का 54%, वर्मीक्यूलाइट का 77%, ग्रेफाइट का 37% और मैग्नेसाइट का 46% निजी क्षेत्र का योगदान है।

समिति को यह बताया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में 2015 और 2021 में संशोधन का उद्देश्य खनिजों के उत्पादन में वृद्धि करना और खानों का समयबद्ध संचालन, पट्टेदार के परिवर्तन के बाद भी खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति

में वृद्धि करना है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप समग्र रूप में खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई है और इससे कई उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जो मुख्य रूप से खनन क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख कच्चे माल पर निर्भर हैं। उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य देश के विकास में सह-भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को शामिल करके खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाना है।

समिति खनन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र को साथ लेने के खान मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार करते हुए यह भी सिफारिश करती है कि खनन क्षेत्र के लिए अनुकूल निवेश वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, व्यापार करने में आसानी जैसे उपाय किए जाएं।

मंत्रालय की उपलब्धियां

20. हाल के वर्षों के दौरान, खान मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारों, विधायी कार्यों, नीतिगत मामलों की संख्या और उनके कार्यान्वयन को स्वीकार करते हुए, समिति अगले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को दोगुना करने हेतु ईमानदारीपूर्वक किए गए प्रयासों के लिए खान मंत्रालय की भूमिका की सराहना करती है। समिति यह भी आशा करती है कि जीएसआई खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय खोज करना जारी रखेगी और एनएमईटी खनन क्षेत्र में अन्वेषण के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की एजेंसियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। देश में खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 'काबिल' और पीएसयू जैसे संयुक्त उद्यमों की भूमिका भी सराहनीय है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय के समेकित प्रयासों से निर्धारित सभी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को कुशलता के साथ प्राप्त किया जाएगा।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन,1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 27 फरवरी, 2023, सोमवार, को समिति कक्ष संख्या '2', ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1315 बजे से 1410 बजे तक हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री चुन्नीलाल साहू
3. श्री खान सौमित्र
4. श्री सुनील कुमार सिंह
5. श्री सुशील कुमार सिंह
6. श्री पशुपति नाथ सिंह

राज्य सभा

7. श्रीमती महुआ माजी
8. श्री रवंगवारा नारजारी
9. श्री समीर उरांव
10. सुश्री सरोज पांडे
11. श्री धीरज प्रसाद साहू

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री जे.एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री अरविंद शर्मा	-	निदेशक
3.	श्रीमती सविता भाटिया	-	उप सचिव

साक्षी

<u>खान मंत्रालय</u>

1. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव (खान)
2. श्री संजय लोहिया, अपर सचिव और सीजी, आईबीएम
3. श्रीमती निरूपमा कोटरू, जेएस एंड एफए
4. श्री एस राजू, डीजी, जीएसआई
5. श्री उपेन्द्र चन्द्र जोशी, संयुक्त सचिव
6. श्रीमती डी. वीणा कुमारी, संयुक्त सचिव
7. श्री साकेश प्रसाद सिंह, सीसीए (खान)
8. श्रीमती फरीदा एम नाइक, संयुक्त सचिव
9. श्री पंकज कुलश्रेष्ठ, मुख्य खान नियंत्रक, प्रभारी एमईएस प्रभाग

<u>खान पीएसयू</u>

10. श्री श्रीधर पात्रा, सीएमडी, नालको
11. श्री घनश्याम शर्मा, सीएमडी, एमईसीएल और निदेशक (वित्त), एचसीएल (अतिरिक्त प्रभार)
12. श्री अरुण कुमार शुक्ला, सीएमडी, एचसीएल

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानो की मांगों की जांच के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में खान मंत्रालय के सचिव एवं अन्य प्रतिनिधियों और इस मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। माननीय सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्षके निदेश' के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

3. तत्पश्चात, खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एफए ने वर्ष 2022-23 के दौरान खान मंत्रालय के कार्य निष्पादन; जीएसआई, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

और खान पीएसयू तथा खान मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य संगठनों द्वारा आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग की योजना के संबंध में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी।

4. माननीय सभापति ने खनन क्षेत्र में मंत्रालय/जीएसआई द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों और मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों के कम उपयोग से संबंधित मुद्दों के संबंध में विभिन्न प्रश्न किए।

5. सदस्यों ने मंत्रालय के विस्तृत डीएफजी (2023-24) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भी मांगा और खान मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। समिति ने खनन ब्लॉकों की नीलामी; डीएमएफ निधियों के उपयोग आदि जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। माननीय सभापति ने खान मंत्रालय के सचिव को सदस्यों द्वारा किए गए जिन प्रश्नों के उत्तर समिति की बैठक के दौरान नहीं दिए जा सके उनके लिखित उत्तर पांच दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक की शब्दशः कार्यवाही की प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 15 मार्च, 2023 को 1530 बजे से 1630 बजे तक माननीय सभापति के कक्ष, कमरा नं '210', बी-ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में आयोजित छठी बैठक का कार्यवाही सारांश।

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री अजय निषाद
7. श्री एस.आर.पार्थिबन
8. श्रीमती रीती पाठक
9. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
10. श्री सुनील कुमार सिंह
11. श्री पशुपति नाथ सिंह
12. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

13. श्री रवंगवरा नारजारी
14. श्री समीर उरांव
15. श्री दीपक प्रकाश
16. श्री आदित्य प्रसाद
17. श्री बीलिंगैय्या यादव .

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और कुछ संशोधनों के साथ उन्हे स्वीकार किया :-

(i) *** *** *** ***;
(ii) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन;
(iii) *** *** *** ***

4. तत्पश्चात् समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आलोक में प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए अधिकृत किया।

5. *** *** *** ***

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

* प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।